VISIONIAS™
www.visionias.in

समसामयिकी

अगस्त - 2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. 1. 1. सुशासन और मानवाधिकार
6. 1.2. संसद और राज्य विधानसभा
7. 1.3. केन्द्र - राज्य संबंध
8. 1.4. ई-शासन - मॉडल और उपयोग

सामाजिक मुद्दे

9. 2.1. गरीबी और बहिष्कार
9. 2.2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक
10. 2.3. अन्य

3. आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था

11. 3.1. सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमावर्ती क्षेत्रों में उनका प्रबंधन
12. 3.2. दूसरे देशों और नॉन-स्टेट एक्टर्स की भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी करने में भूमिका
12. 3.4. विकास और अतिवाद के प्रसार के बीच संबंध

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

13. 4.1. प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक का विकास
13. 4.2. सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता
14. 4.3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी - विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव
16. 4.5. प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीकि का विकास

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

17. 5.1. पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण क्षति तथा संरक्षण
18. 5.1.5 स्वच्छ ऊर्जा योजना: जलवायु परिवर्तन पर ओबामा का साहसिक कदम
18. 5.1.6 ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग
19. 5.1.7 ई –भुगतान प्रणाली द्वारा कैंपा फंड में प्रतिपूरक लेवी का भुगतान
19. 5.2. पर्यावरण संरक्षण

अर्थव्यवस्था

21. विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यू.टी. ओ.) में सौर ऊर्जा को लेकर मतभेद
21. 6.2 कर अपवंचन
22. 6.3 उद्योग
22. 6.4 बैंकिंग सुधार: सार्वजनिक बैंकों के संदर्भ में
23. 6.5 पूंजी बाजार

अंतर्राष्ट्रीय : भारत एवं विश्व

24. 7.1. भारत - यू.एस.
24. 7.2. भारत – इटली समुद्री मामलों में यथास्थिति
24. 7.3 भारत – अफ़ग़ानिस्तान
25. 7.4. भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा
25. 7.5. भारत - ईरान
26. 7.6. भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता सीट का मुद्दा
26. 7.7. यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2015
26. 7.8. चीन - पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना
27. 7.9. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ रूपरेखा
27. 7.10. सार्क देश काष्ठ इतर (Non-wood) वन उपज को बढ़ावा देंगे
27. 7.11. जयपुर शिखर सम्मेलन: भारत - प्रशांत द्वीपों के बीच सहयोग के लिए मंच
28. 7.12. एंकर बच्चा और जन्म पर्यटन: विवाद

सुर्खियों में

29. 8.1 मृत्युदंड के विरोध में त्रिपुरा विधानसभा में प्रस्ताव पारित
29. 8.2 स्वच्छ भारत अभियान में मैसूर अव्वल
29. 8.3 स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन : कुछ महत्वपूर्ण बिंदू
29. 8.4 यंग इंडिया संस्था द्वारा 'प्रोजेक्ट मासूम' का प्रारंभ
30. 8.5 भाषाई सर्वेक्षण होगा प्रकाशित
30. 8.6 काले धन पर अंकुश के लिए सेशेल्स से समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी
30. 8.7 गुजरात दंगों का असर - सोशल मीडिया की होगी निगरानी

VISION IAS

31. 8.8 सोने की तस्करी रोकने पर सरकार का कड़ा रुख
31. 8.9 अप्रयुक्त टीवी स्पेक्ट्रम के माध्यम से उपलब्ध होगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट
31. 8.10 व्यापक समन्वय पोर्टल के माध्यम से सांसद आदर्श ग्राम योजना पर नजर रखेगा
31. 8.11 कठिन परिस्थितियों वाले ब्लॉक से हाईड्रो कार्बन खोज को प्रोत्साहित करने के प्रीमियम मूल्य लिए सरकार द्वारा प्रदत्त होगा
31. 8.12 आरबीआई ने भुगतान बैंकों को हरी झंडी दिखाई
32. 8.13 भारत और अरब लीग : फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत अपने रुख़ पर कायम
32. 8.14 नकली नोटों की रोकथाम के लिए भारत-बांग्लादेश एक साथ
32. 8.15 भारत – पाकिस्ता
32. 8.16 भारत – सेशेल्स संबंध
33. 8.17 भारत- चीन
33. 8.18 भारत – म्यांमार संबंध
33. 8.19 भारतीय नाविकों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान
33. 8.20 लीबिया में चार भारतीयों को बंधंक बनाया
33. 8.21 स्वेज नहर का हुआ विस्तार कार्य हुआ पूरा

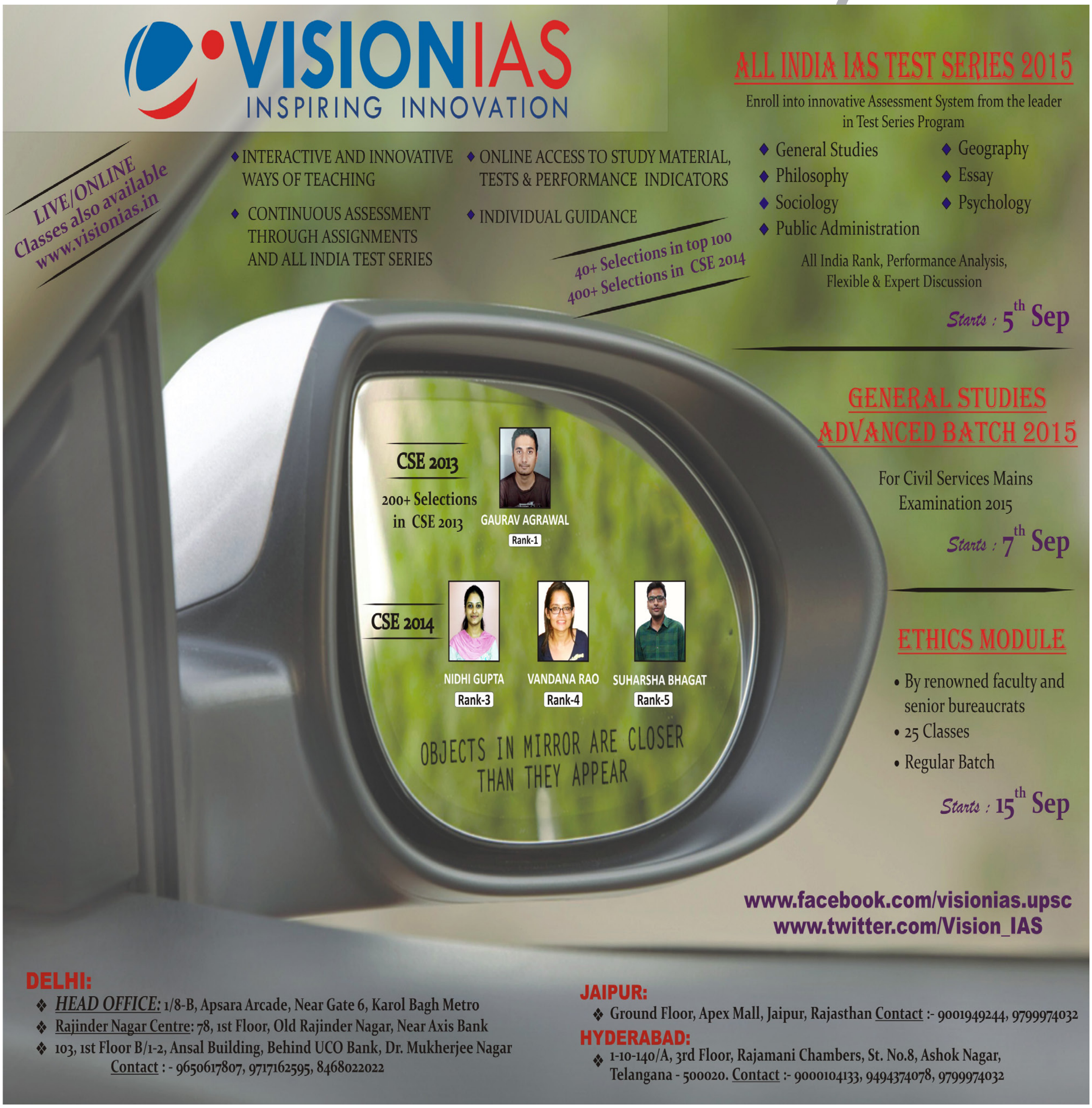

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

1. 1. सुशासन और मानवाधिकार

1.1.1. मानव डीएनए संरचना (प्रोफाइलिंग) विधेयक, 2015

डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है?

- डीएनए प्रोफाइलिंग एक ऐसी तकनीकि है जिसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील तकनीकि है जिसमें त्वचा, बाल, खून या लार के नमूने लिए जाते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रयोग मुख्यतया अपराधों को सुलझाने और अपराधी को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस तकनीकि का उपयोग कर व्यक्तियों के बीच रक्त-संबंधों की पुष्टि भी की जा सकती है, जैसे-पितृत्व का निर्धारण।

डीएनए प्रोफाइलिंग कानून की आवश्यकता क्यों है?

- वर्तमान में, डीएनए परीक्षण प्रयोगशालाएं अनियमित हैं और उनके लिए समान परीक्षण प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं की कमी है। एक कानूनी ढांचे के अभाव में डीएनए डेटाबेस तैयार नहीं किया जा सकता।
- यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह डेटाबेस में किस तरह की और कितनी जानकारी शामिल करना चाहती है। वह चाहे तो सिर्फ दोषी व्यक्तियों या संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी रख सकती है या फिर जेल में बंद सभी कैदियों के बारे में जानकारी रख सकती है।
- अगर डेटाबेस में उन लोगों की जानकारी को शामिल करना है जो कि हिरासत में हैं तो बरी कर दिए गए व्यक्तियों की डीएनए से जुड़ी जानकारी को नष्ट किया जाना होगा।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

डीएनए प्रोफाइलिंग कानून, डीएनए के नमूनों और आंकड़ों के संग्रह, सुरक्षा, उपयोग और पहुँच की प्रक्रिया को निर्धारित करेगा और इन सबसे जुड़ी प्रक्रियाओं को कूटबद्ध करेगा।

- डीएनए जानकारी को न्यायिक कार्यवाही में सबूत के तौर पर स्वीकारा जा सकेगा।

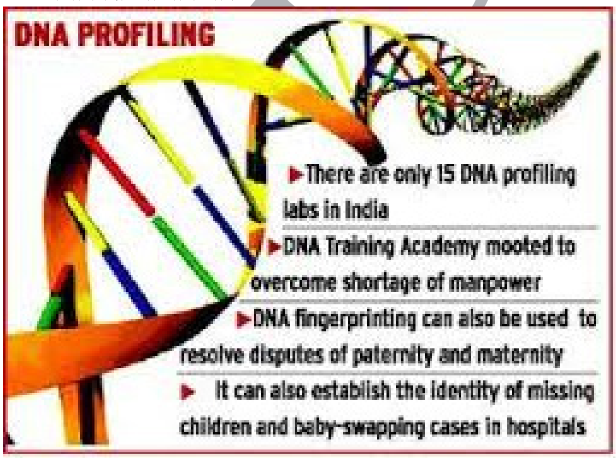

- डीएनए परीक्षण के प्रबंधन का निर्धारण किया जा सकेगा।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य लोगों द्वारा इस जानकारी के उपयोग के विनियमन का निर्धारण।
- दो नए निकाय स्थापित किये जायेंगें :
- डीएनए प्रोफाइलिंग परिषद्- यह परिषद् नियामक के रूप में कार्य करेगी और डीएनए नमूने के परीक्षण, भंडारण और मिलान करने से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करेगी। सभी मौजूदा और नई डीएनए प्रयोगशालाओं को परिषद् से मान्यता लेनी पड़ेगी।
- डीएनए डाटा बैंक- इन्हें राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर स्थापित किया जायेगा। डीएनए जानकारी को इन्हीं डाटा बैंकों में सुरक्षित रखा जायेगा।
- यह विधेयक फॉरेंसिक उद्देश्यों के लिए अपराधियों, संदिग्ध व लापता व्यक्तियों, अज्ञात मृतकों आदि के डीएनए नमूनों के संग्रह और विश्लेषण को वैधता प्रदान करेगा।

विधेयक को लेकर क्या आपत्तियां हैं?

1. **गोपनीयता:** डीएनए के आंकड़ों में व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ कई संवेदनशील जानकारियां भी सम्मिलित होती हैं जैसे रोगों व एलर्जी से जुड़ीं जानकारियां। आलोचकों का कहना है कि विधेयक में इस तरह की जानकारी के संग्रह और इसके दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये गए हैं। विधेयक में यह भी स्पष्ट नहीं है कि डीएनए की जानकारी का उपयोग कौन कर सकता है। साथ ही विधेयक यह भी सुनिश्चित नहीं करता है कि जानकारी का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त किसी और प्रयोजन के लिए नहीं होगा।

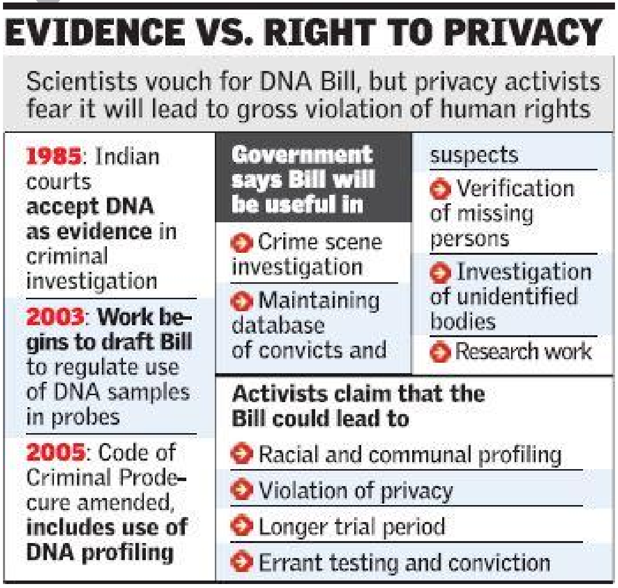

हालांकि, विधेयक के समर्थन में यह तर्क दिया जा रहा है कि डीएनए की बहुत ही सीमित जानकारी को इकठ्ठा किया जायेगा। डीएनए के अरबों आंकड़ों में से सिर्फ 17 आंकड़ों को संग्रहित करने का प्रस्ताव हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर की जा सके। इसमें

VISION IAS

व्यक्तिगत जानकारियों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सिर्फ उन्ही व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित की जाएगी जो कि न्यायालय द्वारा आरोपसिद्ध हैं।

- आकड़ों का दुरूपयोग: अधिकांश देशों में, डीएनए आंकड़ों का प्रयोग केवल आपराधिक जांच के लिए किया जाता है, लेकिन भारत का विधेयक इससे अधिक उपयोग की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, डीएनए के आंकड़ों को लापता व्यक्तियों की पहचान, दुर्घटना या आपदा के शिकार लोगों की पहचान करने और नागरिक विवादों को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही विधेयक डीएनए के आंकड़ों को पहचान से जुड़े अनुसंधान, पैतृक विवाद, जनसंख्या के आंकड़ें, प्रजनन प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में इस्तेमाल की अनुमति देता है। विधेयक के ये प्रावधान नागरिकों को सरकार द्वारा डीएनए डेटा प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
- तकनीकि तौर पर यह संभव है कि डीएनए जानकारी को गैर-फॉरेंसिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे परिवार और वंश के इतिहास को जानने या व्यक्ति के चिकित्सा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए।
- अपराधियों से डीएनए डेटा के संग्रह के लिए जो निर्धारित फॉर्म है उसमें एक प्रविष्टि "जाति" के लिए भी है। इससे विशेषज्ञों को डर है कि कुछ विशेष जातियों और जनसंख्या समूहों के डीएनए की प्रोफाइलिंग की जा सकती है।
- आधार कार्ड आंकड़ों में पहले से ही अधिकतर भारतीयों की बॉयोमीट्रिक जानकारी है। भविष्य में अगर सरकार ने डीएनए आंकड़ों को आधार की जानकारी के साथ जोड़ने का फैसला किया तो इससे लाखों लोगों की सभी व्यक्तिगत जानकारियाँ सरकार और उसकी संस्थाओं के हाथ में होगी।

2. विश्वसनीयता का मुद्दा: कुछ परिस्थितियों में डीएनए की जानकारी भी विश्वसनीय नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया गया है या अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण किया गया है तो कुछ समय के लिए उसके शरीर में किसी और का डीएनए होगा। ऐसे डीएनए के केस भी हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति में कई जीनोम हों जिससे डीएनए निर्धारण में मुश्किलें पैदा हों। कई बार अपराध स्थल से बरामद डीएनए की जानकारी पहचान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है।
3. सहमति का मुद्दा: विधेयक में यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के डीएनए की जानकारी उसकी सहमति के बिना एकत्रित की जा सकती है।
4. जानकारी का संग्रह और विलोपन: विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि कितने समय तक जानकारी को रखा जायेगा और कितने समय बाद नष्ट किया जायेगा।
5. विधेयक में कुछ विवादास्पद खंड हैं, जैसे "वंशावली से संबंधित मुद्दे" और "विस्तृत फॉरेंसिक प्रक्रिया" के नाम पर व्यक्तियों से डीएनए के नमूने एकत्र करना।

क्या होना चाहिए

अब हमें 'प्रत्यक्षदर्शी सबूतों' से 'फॉरेंसिक सबूतों' पर स्थानांतरित होने की जरूरत है और डीएनए उसका एक अभिन्न हिस्सा है। वर्तमान में डीएनए परीक्षण में हमारी क्षमताएं सीमित हैं और यह प्रस्तावित कानून इसके लिए प्रशिक्षित जन-बल के साथ बुनियादी ढांचा तैयार करने में हमारी मदद करेगा।

1.1.2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पारित

अधिनियम के प्रावधान:

- यह विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को संशोधित करेगा।

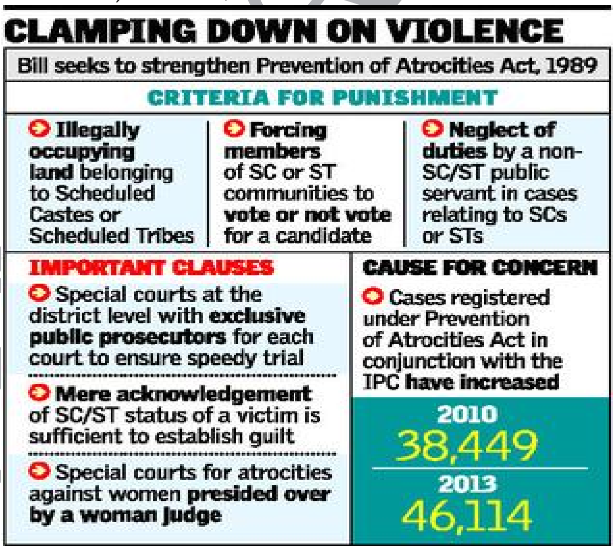

अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपराधों पर प्रतिबंध लगाता है और इनसे जुड़े अपराधों की सुनवाई और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष अदालतें स्थापित करता है।

किन कृत्यों को अपराध माना जायेगा?

- अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किसी अन्य जाति के व्यक्ति के कृत्य को अपराध माना जायेगा। नए अधिनियम में उत्पीड़न के कुछ नए कृत्यों को जोड़ा गया है और कुछ मौजूदा कृत्यों में भी संशोधन किया गया है।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को किसी व्यक्ति विशेष के लिए मतदान के लिए बाध्य करना या फिर मतदान करने से रोकना।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला का यौन-शोषण।

VISION IAS

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को निम्नलिखित गतिविधियों से रोकना:

(क) सार्वजनिक संपत्ति या संसाधनों के उपयोग।

(ख) किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश।

(ग) शैक्षिक या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश।

- विधेयक में इस सन्दर्भ में लोक सेवकों के कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोंगो से संबंधित कार्यों में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में लापरवाही बरतने वाले लोक सेवकों पर दंड का भी प्रावधान है। इन कर्तव्यों में शामिल हैं:
- शिकायत या एफआईआर दर्ज करना।
- शिकायत करने आये व्यक्ति के हस्ताक्षर लेने से पहले उसे पूरी शिकायत पढ़ कर सुनाना और उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को देना।

न्यायालय की भूमिका:

- विधेयक में जिला स्तर पर विशेष न्यायालय गठित करने की बात कही गई है।
- मामलों का दो महीने के अन्दर निपटारा करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों को स्थापित किया जाना चाहिए।
- इन अदालतों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी और तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय को उसका निपटारा करना होगा।
- हर विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय(Exclusive Special Court) के लिए क्रमश: एक लोक अभियोजक और एक विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा।

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार:

- पीड़ितों उनके आश्रितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।
- इनके अतिरिक्त विधेयक में निम्नलिखित उपाय शामिल किये जा सकते हैं: (क) गवाहों का नाम उजागर न करना, (ख) पीड़ित, मुखबिर या गवाह आदि के उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत के संबंध में तत्काल कार्रवाई करना।
- ऐसी किसी भी शिकायत पर अलग से सुनवाई होगी और दो महीने के अन्दर न्यायिक कार्यवाही पूरी करनी होगी।

1.1.3. सिंगापुर का शासन - भारत के लिए सबक

हाल ही में, सिंगापुर ने अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई। इसके साथ ही पहले और सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री ली कुआन यू को अंतिम विदाई दी। ली कुआन यू की अभिकल्पित शासन-व्यवस्था की वजह से ही सिंगापुर सिर्फ 50 साल में तीसरी दुनिया के देश से विकसित देश बन गया। यह भारत को अनुकरण करने के लिए निम्नलिखित बहुमूल्य सबक देता है:

- सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वेतन से कुशल लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ आकर्षित किया जा सकता है।
- सिंगापुर सरकार ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में भारी निवेश किया जिससे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए सक्षम बना।
- भारत की तरह ही सिंगापुर को भी कई सारी सांस्कृतिक बाधाएं विरासत में मिली थी। हालांकि, महिलाओं की रात में यात्रा को सुरक्षित बनाकर और महिलाओं की कमाई के फायदों की सार्वजनिक चर्चा ने महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित किया।

1.2. संसद और राज्य विधानसभा

1.2.1. धन विधेयक

1. धन विधेयक रणनीति के माध्यम से राज्यसभा को धोखा

हाल ही में विपक्ष में सरकार पर महत्वपूर्ण विधेयकों को धन विधेयक बनाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि ऐसा करके सरकार राज्यसभा की विधायी शक्तियों का हनन कर रही है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को पारित करने में कोई अधिकार नहीं है।

धन विधेयक के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। संविधान ने धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को दी है, जिसका निर्णय अंतिम माना जाता है।
- लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक अगर चौदह दिन से अधिक के लिए राज्यसभा में रहता है तो उसे संसद द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है।
- हालांकि, संविधान ने यह स्पष्ट किया है कि धन विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 (1) के तहत सूचीबद्ध मामले ही शामिल होने चाहिए। अगर विधेयक में उन मामलों के अलावा कुछ अन्य प्रावधान भी हैं तो उसे धन विधेयक नहीं माना जा सकता।

उपचारात्मक उपायों की कमी

- लोकसभा अध्यक्ष जब किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं तो एक तरह से राज्यसभा उस विधेयक को अस्वीकृत करने की अपने विधायी शक्ति से वंचित हो जाती है। धन विधेयक के प्रमाणीकरण के बारे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए गलत निर्णय पर राज्यसभा के पास कोई उपाय नहीं है।

क्या होना चाहिए

- न तो संविधान और न ही संसद के नियमों में धन विधेयक को प्रमाणित करने के संबंध में किसी प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लेने के लिए एक उचित प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए।
- यह किया जा सकता है कि दोनों सदनों के महासचिवों की समिति द्वारा विधेयक का परीक्षण किया जाए और तदनुसार लोकसभा अध्यक्ष निर्णय ले।

1.2.2. संसद की कार्य-पद्धति और कामकाज का संचालन

1.2.2.1. संसदीय निर्बलता

हाल ही में, सरकार-विपक्ष के लगातार गतिरोध के कारण संसद का लगभग पूरा मानसून-सत्र रद्द हो गया।

संसदीय निर्बलता के प्रभाव

- उचित बहस और विचार-विमर्श के बिना ही जल्दबाजी में विधेयक पारित कर दिए जाते हैं। कभी-कभी महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पाते हैं। इससे देश के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- सांसद निर्णय लेने की प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हैं और गैर-संसदीय अभिकर्ताओं के लिए गुंजाइश छोड़ते हैं जिससे अधीनस्थ विधान गतिविधियों में वृद्धि होती है।
- लोग संसद और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास खो देते हैं।
- संसद में नारेबाजी और व्यवधान से स्वतंत्र और खुली बहस नहीं हो पाती है।
- संसदीय जवाबदेही का पूरी तरह से पालन नहीं होता है।
- कार्यवाही की व्यवस्था करने में कीमती समय और सरकारी पैसे की बर्बादी होती है।

सांसदों का निलंबन

प्रक्रिया और कार्य संचालन के सामान्य नियमों, के नियम 374 (ए) के तहत, अध्यक्ष के पास कार्यवाही को बाधित करने वाले सदस्यों को सदन से बेदखल करने और निलंबित करने की शक्ति है। इस संदर्भ में सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है। हालांकि अध्यक्ष इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल करता है क्योंकि इसे संसद में मुक्त बहस को रोकने के रूप में देखा जाता है।

क्या होना चाहिए

- संसदीय कार्यवाही की स्वस्थ कार्यप्रणाली के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना आवश्यक है। साथ ही सांसदों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। समय समय पर सांसदों के प्रदर्शन के प्रकाशन से प्रभावी प्रतिक्रिया मिलेगी और सांसदों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
- भारत के राजनीतिक वर्ग को यह एहसास होना चाहिए कि कई देश भारत को लोकतंत्र के एक सफल उदाहरण के रूप में देखते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिरता विदेशी निवेश के साथ भी जुड़ीं हुई है, जिसकी भारत को सख्त जरूरत है।

1.3. केन्द्र - राज्य संबंध

1.3.1. आर्थिक संघवाद

1.3.1.1. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार

- केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने संसद में घोषणा की कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई नीति नहीं है। इसके बजाय राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है।

भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य:

- भारत में राज्यों को विशेष दर्जा देने की अवधारणा 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद लागू की गयी थी। 5वें वित्त आयोग ने कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता और करों में छूट के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश की थी।

अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाले लाभ:

- सामान्य केंद्रीय सहायता में से 30 फीसदी हिस्सा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए निर्धारित है। शेष 70 फीसदी में से विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को अनुदान- ऋण 90:10 के अनुपात में मिलता है जबकि अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 70: 30 है।
- परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता (90 प्रतिशत अनुदान) और खुली विशेष केंद्रीय सहायता (100 प्रतिशत अनुदान) केवल विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को दी जाती है।
- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अनुदान-ऋण 90:10 के अनुपात में सहायता।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को परियोजना लागत का 90 फीसदी अनुदान मिलता है जबकि अन्य राज्यों को 25 फीसदी अनुदान मिलता है।

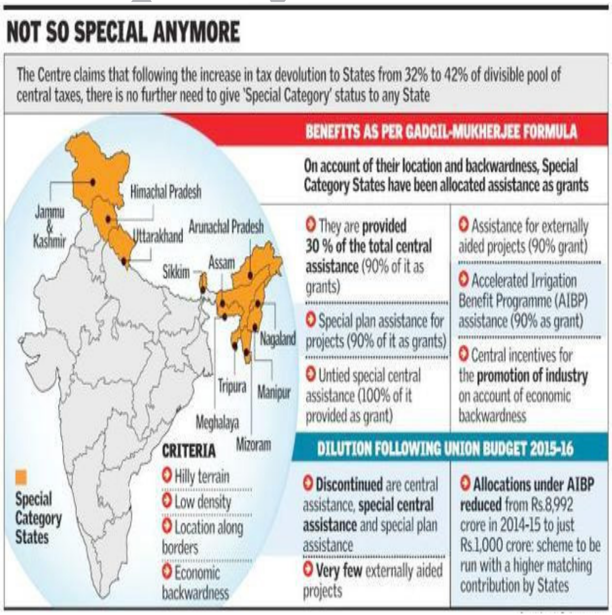

विशेष राज्य का दर्जा: सरकार का हालिया दृष्टिकोण

पिछले कुछ वर्षों में कई बदलाव किये गए हैं जिससे विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाले लाभ काफी कम हुए हैं। केंद्रीय बजट वर्ष 2015-16 में भी इस संदर्भ में कई बदलाव लाये गए हैं।

- केंद्रीय करों में अब राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गयी है। परन्तु केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-16 से सामान्य योजना सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता और विशेष योजना सहायता को खत्म कर दिया है।
- पहले कुल योजनागत सहायता में सामान्य केंद्रीय सहायता का हिस्सा बहुत अधिक था, परन्तु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रसार से यह सिर्फ 15 फीसदी रह गया था।

- आर्थिक सहायता का प्रमुख स्रोत अब केवल बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में मिलने वाला अनुदान ही है, जो कि 90 प्रतिशत है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं बहुत कम हैं।
- केंद्रीय बजट वर्ष 2015-16 ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत आवंटन को काफी कम कर दिया है।
- वित्त आयोग आवंटन में राज्यों के बीच भेद नहीं करता है। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है - जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य।

1.4. ई-शासन - मॉडल और उपयोग

1.4.1 सीसीटीएनएस योजना के तहत पहल

1.4.1.1. सीसीटीएनएस योजना के तहत आरोपित यौन अपराधियों के नाम सार्वजनिक किये जायेंगे

- सरकार यौन अपराधियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोगो के नाम सार्वजनिक करने की योजना बना रही है। इन अपराधियों के नाम ऑनलाइन तौर पर सार्वजनिक किये जायेंगे।
- सीसीटीएनएस के तहत इन नामों की सूची प्रकाशित की जाएगी जिसे माता-पिता, नियोक्ताओं और संबंधित लोग देख सकेंगे।
- सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची, मानव तस्करी और लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी, घोषित अपराधियों की सूची और कानूनी सेवाओं तक पहुँच का तरीका भी इस ऑनलाइन पहल का हिस्सा होगा।

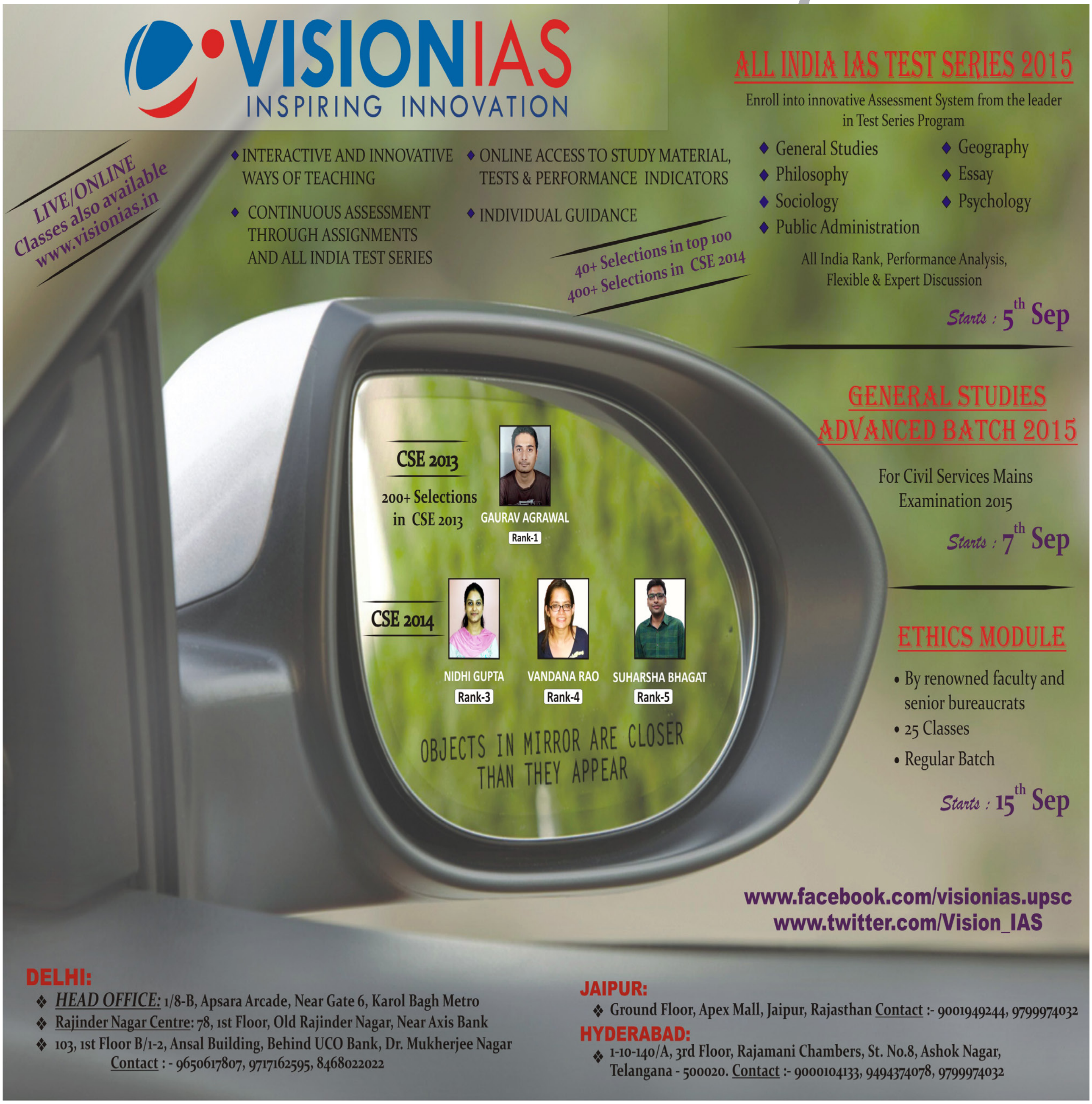

सामाजिक मुद्दे

2.1. गरीबी और बहिष्कार

2.1.1. मनरेगा

2.1.1.1. ग्रामीण विकास मंत्रालय की नई रिपोर्ट: मनरेगा की जानकारी

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- मनरेगा ने करीब 32 प्रतिशत तक गरीबी को कम किया है और 14 लाख लोगों को गरीब होने से बचाया है।
- मनरेगा के तहत अखिल भारतीय स्तर पर औसत श्रमिक दिनों की संख्या 4 दिन से भी कम हैं। यह दर्शाता है कि मनरेगा का ग्रामीण रोजगार बाजार पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है।
- भले ही यह योजना काम के दिनों को बढ़ाने में असफल रही हो परन्तु इसने लोगों को कम उत्पादक कार्यों से हटा कर मनरेगा के तहत किये जाने वाले अधिक उत्पादक कार्यों में लगाया है। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
- वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 की अवधि में ग्रामीण मजदूरी में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इस बढ़ोतरी में मनरेगा की भूमिका कम ही है।
- कई महिलाओं के लिए नकद आय अर्जित करने के लिए मनरेगा पहला अवसर था। इससे संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा उनके हाथ में पैसा आया और उनका बैंक खाता खुला। मनरेगा का लाभ लेने वाले घरों के बच्चों में शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है और उनके कार्यशील होने की संभावना भी घटती है।
- आर्थिक मोर्चे पर, इस अवधि के दौरान वित्तीय समावेशन में बढ़ोत्तरी हुई है, साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है और औपचारिक ऋण तक पहुँच भी बढ़ी है।
- सभी इच्छुक परिवारों को पूरे 100 दिनों का काम न मिल पाने की वजह से मनरेगा को पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत काम की मांग काफी अधिक है जो पूरी नहीं हो पा रही है। कार्यान्वयन के स्तर पर धन की कमी और धन की अनियमितता इसका प्रमुख कारण है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट में भी इसी तरह के निष्कर्ष सामने आये हैं। रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों की संख्या कृषि के व्यस्ततम मौसम में घट जाती है।

2.2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक

2.2.1. 'नई मंजिल' योजना का शुभारंभ

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई मंजिल नाम की एक नई योजना प्रारंभ की है।
- इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना और उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण देना है।
- यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षणिक और आजीविका जरूरतों पर ध्यान देगी। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा क्योंकि इनकी शैक्षणिक स्थिति अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में निम्न है।
- इस योजना का लक्ष्य समूह स्कूल न जाने वाले बच्चे, स्कूल की पढाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चे और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे होंगें। क्योंकि उन्हें दसवीं और बारहवीं कक्षा का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है जिससे वे संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने में असफल रहते हैं।
- यह योजना सभी अल्पसंख्यक समुदायों के 17-35 आयु वर्ग के लोगों के साथ ही मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों पर ध्यान देगी।
- यह योजना प्रशिक्षुओं को 'दूरस्थ शिक्षा प्रणाली' के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी और उन्हें दसवीं और बारहवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी। साथ ही उन्हें 4 विषयों - निर्माण, इंजीनियरिंग, सेवा, सॉफ्ट स्किल्स में व्यापार आधार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- यह योजना उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए अवसर प्रदान करेगी और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोलेगी।

2.2.2. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) विधेयक का मसौदा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इस विधेयक में संस्थानों से जुड़े कई मुद्दों पर मंत्रालय को अधिकार प्रदान किये गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विपरीत, भारतीय प्रबंधन संस्थान संसद के अधिनियम के तहत नहीं आते हैं।

विधेयक के प्रस्ताव

- 13 मौजूदा आईआईएम को वैधानिक दर्जा देना।
- आईआईएम को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' घोषित करना।
- आईआईएम को डिप्लोमा और फेलोशिप के स्थान पर डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना।
- विधेयक के कई प्रावधानों ने आईआईएम की स्वायत्तता पर बहस को जन्म दिया है
- प्रत्येक आईआईएम की प्रबंध परिषद् 'प्रमुख कार्यकारी निकाय' होगी। परन्तु केंद्र सरकार परिषद की शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकेगी।
- परिषद् आईआईएम कर्मचारियों के लिए कार्यकाल, पारिश्रमिक आदि के बारे में नियम और विनियम बना सकती है, परन्तु इसके लिये उसे पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
- परिषद् की बैठक के संचालन के साथ-साथ प्रवेश के मानदंड, छात्रवृत्ति और फैलोशिप से संबंधित मामलों के लिए मंत्रालय की मंजूरी लेना आवश्यक हो जाएगा।
- केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
- विधेयक के विपक्ष में तर्क

VISION IAS

- सरकार का व्यापक नियंत्रण चिंता का विषय है और इसे दूर किया जाना चाहिए। विशेष रूप से चिंतनीय यह है कि वर्तमान में जो शक्तियाँ अलग-अलग आईआईएम परिषद के पास हैं, वे केंद्र सरकार के पास आ जायेंगीं ।
- विधेयक आईआईएम के प्रबंध परिषद् की स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा। निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के पास चली जाएगी। इन अधिकारियों के पास इस सन्दर्भ में आवश्यक कौशल नहीं है और न ही शैक्षणिक मामलों पर फैसले लेने का अनुभव है।
- यह केंद्र सरकार को "सभी मामलों" के लिए नियम बनाने की शक्ति दे देगा, जैसे- अध्यक्ष की नियुक्ति, निदेशक के लिए नियम और शर्तें तथा प्रशासनिक मुद्दे आदि।
- विधेयक के पक्ष में तर्क
- आईआईएम परिषद् ने निदेशकों के लिए प्रदर्शन मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यह परिषद् जवाबदेही लागू नहीं कर सकती। इसलिए इस पर सरकार को नजर रखना जरूरी है जो कि आईआईएम की प्रमुख हितधारक और संस्थापक है। इसके लिए सिर्फ परिणाम की ही नहीं बल्कि निर्णयों की निगरानी की भी आवश्यकता है।
- वर्ष 2008 में आर सी भार्गव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने आईआईएम परिषदों पर टिप्पणी की थी: "परिषद् की कार्य-सूची में सिर्फ रोजमर्रा के प्रशासनिक अनुमोदन अनुरोध ही होते हैं, कभी-कभार ही वे रणनीति पर चर्चा करते हैं या कोई लंबी अवधि की योजना तैयार करते हैं।"
- आईआईएम के कार्यसंचालन में कई गंभीर कमियों को ठीक करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की जरुरत है, जैसे आईआईएम परिषद् के सदस्यों के लिए निश्चित कार्यकाल का निर्धारण। नए विधेयक में परिषद् के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल छह साल है।

निष्कर्ष

आईआईएम विधेयक के कुछ प्रावधानों पर चर्चा की आवश्यकता है, जैसे परिषद् द्वारा बनाये गए सभी नियमों के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता। लेकिन विधेयक के मूल उद्देश्य, अर्थात् प्रणाली में जवाबदेही के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं और स्पष्ट मानदंडों को स्थापित करना, पर शायद ही कोई सवाल खड़ा किया जा सकता है।

2.3. अन्य

2.3.1. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया

- 7 अगस्त को पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया।
- इसमें समृद्ध और सजीव विरासत को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए नए डिजाइन बनाने, ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स पर जोर दिया गया।
- हथकरघा उद्योग देश में कुल कपड़े की खपत का 15 फीसदी योगदान देता है। लगातार नवाचार और विकास द्वारा हथकरघा को फैशन-अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, और साथ ही गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- देश में फैशन और डिजाइन शिक्षा को पारंपरिक हथकरघा के परिप्रेक्ष्य में खुद को नई दिशा देने की जरूरत है।
- ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए "भारत हैंडलूम मार्क" शुरू किया गया है।

कुछ अन्य तथ्य:

- भारत में कपड़ा उत्पादन पर बिजली-करघा उद्योग हावी है। यह 60% कपड़े का उत्पादन करता है।
- भारत में हथकरघा उद्योग ग्रामीण आबादी के लिए कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है।
- अमेरिका, भारतीय हथकरघा उत्पादों का प्रमुख आयातक है। उसके बाद ब्रिटेन और जर्मनी का स्थान आता है।
- खादी का नियमन खादी और ग्रामोद्योग आयोग करता है।

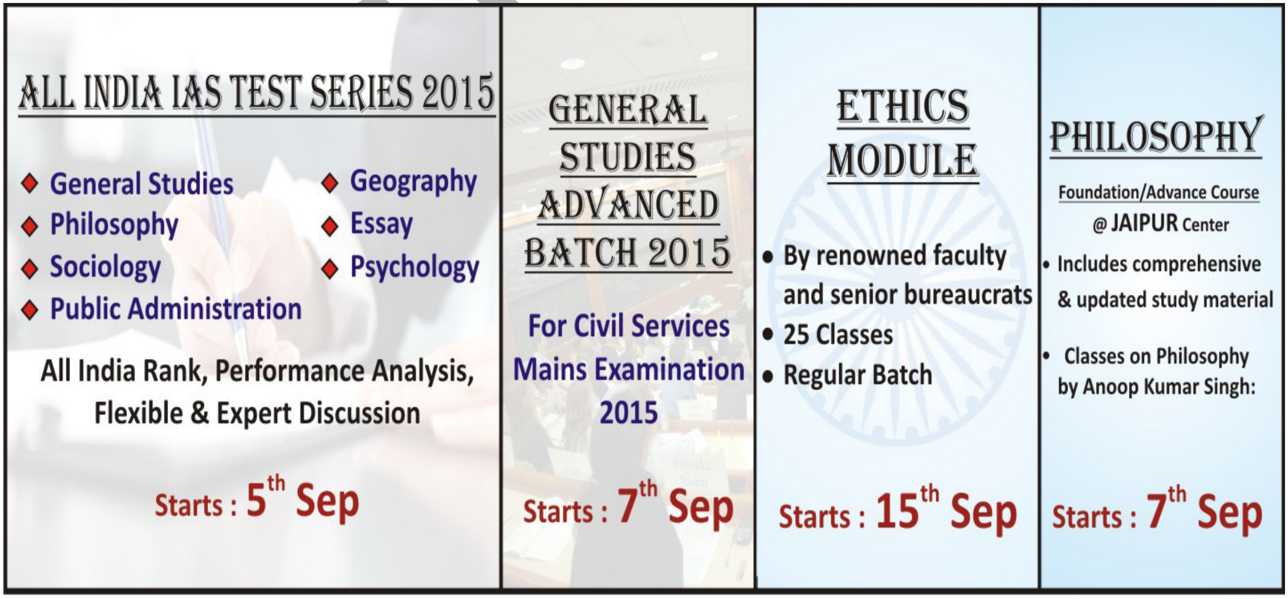

3. आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था

3.1. सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमावर्ती क्षेत्रों में उनका प्रबंधन

3.1.1. पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह

3.1.1.1. नागा शांति समझौता

भारत सरकार ने हाल ही में नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) पिछले छह दशकों से एक एकीकृत नागा पहचान और एक अलग 'नागालिम' राज्य की मांग कर रही है। समझौते के तहत 27 अप्रैल 2016 तक क्षेत्र में युद्ध-विराम रहेगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ब्रिटिश शासन ने नागा क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग और अछूता रखा था, उसी वजह से नागा समस्या उत्पन्न हुई थी।

शुरू से ही नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) एक अलग और स्वतंत्र नागालैंड के लिए लड़ाई लड़ती आई है। लेकिन बाद में इसकी मांग भारत के अंदर ही एक अलग राज्य की हो गयी थी। यह असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को नागालैंड में मिलाकर 12 लाख नागाओं को एकजुट करके 'बृहद नागालैंड' राज्य चाहती है। हालांकि इसका संबंधित तीनों राज्य विरोध करते आये हैं।

घटनाक्रम

- फिजो के नागा आंदोलन के नेता के रूप में उभरकर आने के साथ ही वर्ष 1940 के अंत में नागा आंदोलन तेज हुआ।
- नागालैंड को वर्ष 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसके पहले यह असम राज्य का एक जिला था।
- नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल वर्ष 1980 में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य मणिपुर, नागालैंड और उत्तरी कछार हिल्स (असम) के कुछ हिस्सों को शामिल करके एक अलग राज्य 'बृहद नागालैंड' की स्थापना करना था।
- वर्ष 1988 में नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल का विभाजन हो गया और यह दो समूहों में टूट गयी - नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) और नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (खापलांग)।
- नागालैंड में वर्ष 2014 के आम चुनावों में 87% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। यह भारत में किसी भी राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान प्रतिशत था। यह नागा लोगों की भारतीय लोकतंत्र में आस्था का सबूत है।
- भारत के संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करने, हथियार समर्पण करने और अलगाव की मांग को त्यागने की शर्त स्वीकार करते हुए वर्ष 1975 में नागा नेताओं ने शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए। परन्तु यह नागा आंदोलन के कुछ नेताओं को अस्वीकार्य था और इसलिए नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल का गठन हुआ।

वर्तमान समझौता नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) के साथ हुआ है। 16 साल में बातचीत के 80 दौर के बाद यह सफलता मिली है। इसके पहले वर्ष 1997 में युद्धविराम के रूप में पहली सफलता मिली थी।

नागाओं की मांग

असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को नागालैंड में मिलाकर 'बृहद नागालैंड' राज्य का निर्माण इनकी प्रमुख मांग है। लेकिन संबंधित तीनों राज्य इसका विरोध करते आये हैं।

समझौते का विश्लेषण

कई छोटे-छोटे समूह इस शांति प्रक्रिया के निर्णायक चरणों का हिस्सा नहीं थे। अन्य गुट जैसे खोले कितोवी (केके), रेफोर्मेशन (आर) और नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (खापलांग) इस समझौते में शामिल नहीं हैं।

'GREATER NAGALIM', AS THE NSCN (IM) ORIGINALLY SOUGHT

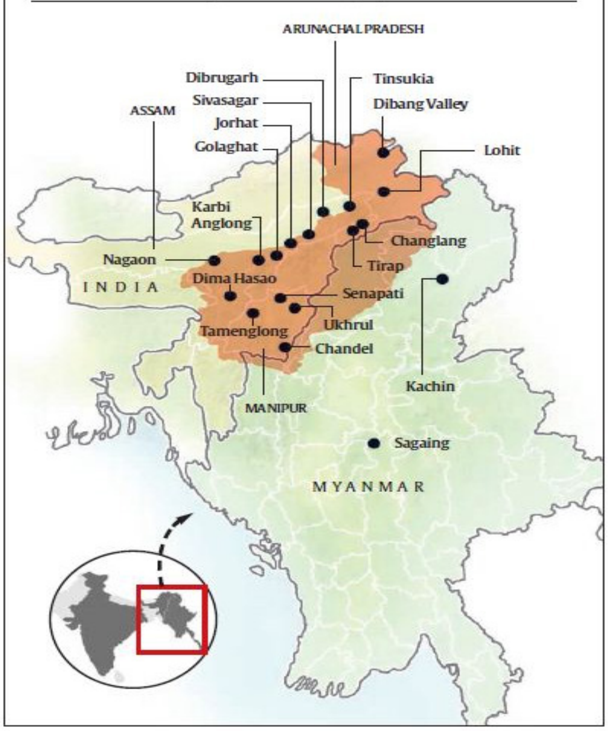

- समझौते के ब्यौरे को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। 'संप्रभुता' के विवादास्पद मुद्दे पर भी कोई स्पष्टता नहीं है। साथ ही 'बृहद नागालैंड' के गठन पर भी कुछ नहीं कहा गया है।
- सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां
- अन्य राज्यों के क्षेत्रों पर दावा किये बिना नागा पहचान को मान्यता प्रदान करना।

- भारत की संप्रभुता को खतरे में न डालते हुए नागा लोगों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।

क्या होना चाहिए

- समझौते की सफलता के लिए जरूरी है कि एक 'समावेशी शांति समझौते' के लिए नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) सभी गुटों को साथ लाये, विशेष रूप से प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र गुटों को। इस तरह के समझौतों से सभी को संतुष्ट करना मुश्किल होता है, जिससे नये-नये दल उभरकर सामने आते हैं। उदाहरण के लिए शिलांग समझौते की वजह से नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल में अलग-अलग गुट बन गए थे।
- ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अन्य सशस्त्र नागा समूहों को समझौते के लिए राजी करने के लिए नागालिम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (इसाक-मुइवा) के साथ संयुक्त जिम्मेदारी लेनी होगी।

दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा विशेषकर म्यांमार से लगी लंबी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुडी हैं? [यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2013]

3.2. दूसरे देशों और नॉन-स्टेट एक्टर्स की भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी करने में भूमिका

- 3.2.1. लोगों को आतंक-प्रतिबंध सूची के अंतर्गत लाने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) में संशोधन
- सरकार की आतंकी संगठनों के साथ-साथ "नामित व्यक्तियों" को प्रतिबंधित सूची के तहत लाने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में संशोधन करने की योजना है।
- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 35 के तहत 38 आतंकवादी संगठन प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल हैं।
- इस संशोधन के द्वारा किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़े न होने वाले परन्तु भारत के बाहर कोई अपराध करने वाले व्यक्तियों के मामलों को भी विधेयक में सम्मिलित किया जायेगा।

3.2.2. आतंक के रास्ते पर जाने से बचाये हुए युवाओं के लिए एनआईए (NIA) की सिफारिशें

पृष्ठभूमि:

- अब तक करीब 17 भारतीय आईएसआईएस (ISIS) में शामिल हुए हैं।
- तकरीबन 20 भारतीयों को आईएसआईएस में शामिल होने से रोका गया है।
- महाराष्ट्र का अरीब मजीद एक मात्र भारतीय है जो आईएसआईएस में शामिल होने के बाद वापस लौट कर आया है।

सिफारिशें

- उनके खिलाफ "हल्के" कानूनी प्रावधानों का उपयोग किया जाये।
- संभावित युवा आतंकियों की पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी बंधनों के आदेशों को जारी किया जाये।
- अगर युवाओं में कट्टरता के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह के मामलों में स्थानीय पुलिस बहुत मददगार हो सकती है।
- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए।
- सिफारिशों का कारण
- ताकि इस तरह के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य आगे आयें।
- हल्की कानूनी धाराएँ लगाने से उनके मन में कानून का भय पैदा होगा और यह एक अपराध निवारक के रूप में कार्य करेगा।

3.4. विकास और अतिवाद के प्रसार के बीच संबंध

3.4.1. नक्सलवाद को रोकने के लिए केन्द्र की पांच सूत्रीय रणनीति

विशेषताएं:

- नक्सलियों की उपस्थिति को सिर्फ बल (सशस्त्र बल) का उपयोग करके नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और जागरूकता कार्यक्रम चलाकर रोकना होगा।
- केंद्र की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और अन्य तरह का विकास करने की योजना है।
- केंद्र नक्सलवाद को रोकने के लिए ड्रोन और मानवरहित विमान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगा।
- नक्सलवादियों से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए सरकार ने सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए छह आधुनिक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 400 पुलिस थाने बनाये जा चुके हैं। साथ ही मोबाइल फोन का नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल की 2,100 मोबाइल टॉवर लगाने की योजना है।

VISION IAS

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

4.1. प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक का विकास

4.1.1. केरल में इसरो के टाइटेनियम स्पंज संयंत्र ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया

- केरल के चावरा में स्वदेशी टाइटेनियम स्पंज संयंत्र पूरी तरह से प्रारंभ हो गया है और इसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अब इस स्वदेशी टाइटेनियम स्पंज संयंत्र पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है। इसका प्रयोग उपग्रह और प्रक्षेपण वाहन के पुर्जे बनाने में किया जायेगा।
- यह विश्व का एकमात्र एकीकृत संयंत्र है जहाँ टाइटेनियम खनिज के खनन से लेकर विमान निर्माण श्रेणी का टाइटेनियम स्पंज बनाया जाता है।

महत्व

- भारत व्यावसायिक रूप से टाइटेनियम स्पंज का उत्पादन करने वाला विश्व का सातवां देश बन गया है।
- पहले भारत को टाइटेनियम आयात करना पड़ता था। अब विदेशी मुद्रा भण्डार की बचत होगी।
- भारत टाइटेनियम खनिजों के भण्डार के मामले में तीसरे स्थान पर है।
- वार्षिक आवश्यकता: 200-300 मीट्रिक टन।

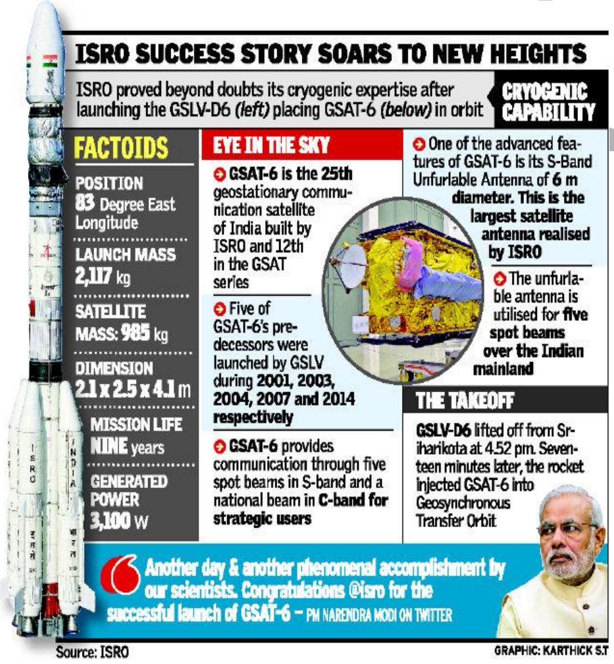

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों में टाइटेनियम की आवश्यकता क्यों है: इसकी उच्च शक्ति और गैर संक्षारक गुणवत्ता के कारण।

4.1.2. जीएसएलवी डी-6 का सफल प्रक्षेपण

- स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ जीएसएलवी श्रृंखला का यह लगातार दूसरा सफल प्रक्षेपण है। इसके पहले जनवरी में जीएसएलवी डी-5 का सफल प्रक्षेपण हुआ था।
- इसरो (ISRO) अगले साल के अंत तक जीएसएलवी माक-III के परीक्षण की योजना बना रहा है। यह चार टन तक का भार ले जाने में सक्षम है।

क्रायोजेनिक चरण और अन्य दूसरे चरणों के बीच का अंतर

- दूसरे चरणों की तुलना में क्रायोजेनिक चरण बहुत ही जटिल है। क्योंकि इसमें अत्यंत कम तापमान पर क्रिया होती है, संबंधित उष्मीय और संरचनात्मक चुनौतियां भी हैं। एक क्रायोजेनिक रॉकेट अधिक कुशल होता है और यह सामान्य रॉकेट की तुलना में प्रति किलो ईंधन पर ज्यादा बल (थ्रस्ट) प्रदान करता है।

महत्व

- लगातार दो सफल प्रक्षेपणों ने इसरो की क्षमता को साबित किया है और इससे इसरो के वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ा है।
- जीएसएलवी से प्रक्षेपण का खर्च विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रक्षेपण कराने पर होने वाले खर्च का सिर्फ एक तिहाई होगा। इससे उपग्रह प्रक्षेपण लागत कम हो जाएगी और साथ ही विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
- यह करोड़ों डॉलर के वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता में वृद्धि करेगा। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी।
- जीएसएलवी इसरो को जीसैट(GSAT) श्रेणी के भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में समर्थ बनाएगा।
- विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता घटने से इस उच्च तकनीक के क्षेत्र में भारत को रणनीतिक बढ़त मिलेगी।

प्रश्न: इसरो के लिए स्पॉट-6 रॉकेट के प्रक्षेपण का महत्व। (यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2012)

4.2. सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता

4.2.1. जीसैट-6 (भू-तुल्यकालिक उपग्रह)

- इसका मुख्य उद्देश्य देश के रणनीतिक उपयोगकर्ताओं और अन्य विशिष्ट अधिकृत उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुँचाना है।
- इसका जीवनकाल 9 साल रहेगा और इसका प्रक्षेपण द्रव्यमान 2 टन है।
- यह देश में एस-बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा।
- इसमें छह मीटर व्यास वाला एक खास तरह का एस-बैंड एंटीना है। यह इसरो द्वारा किसी उपग्रह के लिए बनाया गया सबसे बड़ा एंटीना है।
- यह वाहनों को मोबाइल फोन और मोबाइल वीडियो/ऑडियो रिसीवर के माध्यम से एक सैटेलाइट डिजिटल मल्टीमीडिया प्रसारण (एस-बैंड) सेवा प्रदान करेगा।

- इसे सामरिक और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है।

4.2.2. उदयपुर सौर वेधशाला में बहु-अनुप्रयोग सौर दूरबीन (MAST) क्रियाशील हुई

उद्देश्य और महत्व

- चुंबकीय क्षेत्र सहित सौर गतिविधि का विस्तृत अध्ययन, सौर गतिविधियों के इस अध्ययन से भविष्य में अंतरिक्ष मौसम के पूर्वानुमान की सुविधा होगी।
- यह सौर चुंबकीय क्षेत्र के त्रिविमीय (3-D) पहलुओं को पकड़ने में सक्षम है। इससे वैज्ञानिक विकृत चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले विस्फोट और सौर चमक को बेहतर ढ़ंग से समझ पाएंगें।
- उदयपुर सौर वेधशाला भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का एक हिस्सा है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भारतीय अंतरिक्ष विभाग की एक स्वायत्त इकाई है।
- यह वेधशाला उदयपुर की फतेहसागर झील के बीच में एक द्वीप पर स्थित है।

वेधशाला को झील के बीच में क्यों बनाया गया है?

- दूरबीन के चारों ओर बड़ा जलाशय होने से सतही परतें कम गर्म होती हैं।
- यह वायु विक्षोभ को कम करता है जिससे प्रतिबिंब की गुणवत्ता और देखने में सुधार आता है।

बहु-उपयोग सौर दूरबीन की विशेषताएं

- 50 सेमी व्यास (एपर्चर)
- झुके हुए अक्ष वाली ग्रेगोरियन-कोऊडे (off-axis Gregorian-Coude) दूरबीन

भारत में अन्य दूरबीन

नाम/वेधशाला	अपर्चर	वर्ष	स्थान
नेशनल लार्जसोलर टेलिस्कोप	200 सेमी	प्रस्तावित	मार्क गाँव, लद्दाख
एरीज(ARIES) वेधशाला	15 सेमी	1961	नैनीताल
सोलर टनल टेलिस्कोप ,कोडाइकनाल सौर वेधशाला	61 सेमी (24 इंच)	1958	कोडाइकनाल

4.2.3. इबोला का टीका विकसित

- कनाडा की लोक स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा विकसित
- परीक्षण के दौरान 100% प्रभावकारिता
- **यह कैसे कार्य करता है:** इबोला के तत्वों से एक डमी वायरस (वेसिकुलर स्टॉमाटाईटिस वायरस) बनाया जाता है। जब यह जोखिम रहित वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, तो इबोला का टीका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सचेत कर देता है, जो वायरस पर तीखा हमला करके उसे घातक इबोला वायरस के साथ खत्म कर देता है।

इबोला रोग

- इबोला वायरस से वायरल रक्तस्रावी बुखार होता है।
- लक्षण: प्रारंभिक लक्षणों में अचानक बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और गले में खराश शामिल हैं।
- प्रारंभिक लक्षण के उपरान्त उल्टी, दस्त, गुर्दे और जिगर में खराबी होने लगती है और कभी-कभी आंतरिक और बाह्य रक्तस्राव भी होता है।
- औसतन लगभग 50 प्रतिशत संक्रमित लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- इबोला वायरस कैसे फैल रहा है?
- संक्रमित जानवरों या संक्रमित मनुष्यों के शरीर के तरल पदार्थों के साथ संपर्क में आने से मनुष्य इबोला से पीड़ित हो जाता है।

प्रभावित क्षेत्र: उप सहारा अफ्रीकी देश (गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया)

4.2.4. दिशा (DISHA- डिजिटल साक्षरता अभियान)

- दिशा कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों की मदद से अगले तीन वर्षों में लगभग 50 लाख लोगों को बुनियादी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए लगभग 450-500 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।
- निवेश कुछ निर्धारित जिलों में किया जाएगा। हर पात्र घर से एक व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा।
- दिशा कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में दो घंटे, 10 घंटे और 20 घंटे का पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- इस योजना का लक्ष्य लगभग 52.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है, जिसमें सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में अधिकृत आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता और प्राधिकृत राशन विक्रेता शामिल हैं।
- सरकार एक राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य और ई-प्रशासन के रूप में विभिन्न सेवायें प्रदान करना चाहती है। इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क के वर्ष 2017 तक क्रियाशील होने की संभावना है।

दिशा मोबाइल ऐप

- दिशा मोबाइल ऐप लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में जानने में मदद करेगी।
- बिहार में आदिवासी और दलित महिलाओं को डिजिटल साक्षरता देने के लिए सरकार ने उन महिलाओं को टेबलेट कंप्यूटर दिए हैं, जिन्होंने सरकारी कॉमन सर्विस सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

दिशा विवरण पुस्तिका

- इसे इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें डिजिटल साक्षरता बहुत कम या नहीं है वह इसमें कंप्यूटर संचालन के बारे में दिए गए सचित्र अध्यायों के माध्यम से सीख सकता है।

4.3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी - विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव

VISION IAS

4.3.1. मेघबीजन (Cloud Seeding)

कर्नाटक सरकार ने इस साल कम बारिश के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पन्न संकट से निपटने के लिए मेघबीजन का फैसला किया है।

- मेघबीजन बादलों से प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा या प्रकार में परिवर्तन करने की एक विधि है। इस प्रक्रिया में ऐसे पदार्थों को ऊपरी हवा में फैलाया जाता है जो आर्द्रताग्राही नाभिकों अथवा बादल संघनन अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकें ताकि बादलों से वर्षा प्राप्त की जा सके।
- प्रक्रिया में प्रयुक्त रसायन: तरल प्रोपेन, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड)।

उपयोग:

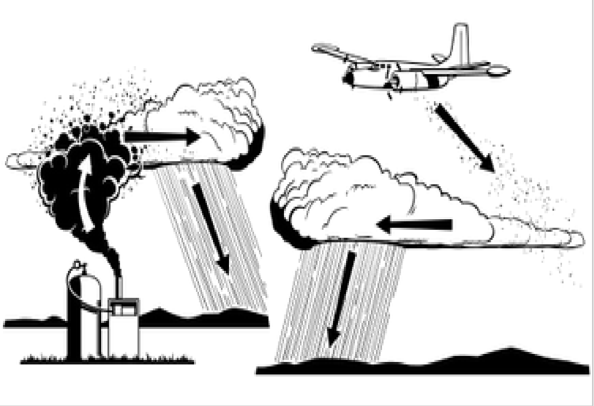

Cloud seeding can be done by ground generators, plane, or rocket

- एक विशेष क्षेत्र में वर्षा बढ़ाने के लिए
- ओला वृष्टि और कोहरे को रोकने के लिए

सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ और कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभाव की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गयी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सितंबर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत में एल-नीनो और ला-नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की कार्यविधियों पर चर्चा कीजिए। (यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2014)

भारत में 'मरुस्थलीकरण' के कारणों और उसके विस्तार का परीक्षण कीजिये और इस समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाइये। (यूपीए-ससी मुख्य परीक्षा 2012)

4.3.2. स्मार्ट लॉकर: पूरी तरह से स्वचालित लॉकर

आईसीआईसीआई बैंक ने स्मार्ट लॉकर नाम का अपनी तरह का पहला पूरी तरह स्वचालित डिजिटल लॉकर आरम्भ किया है।

विशेषताएं

- उच्च सुरक्षा के साथ ग्राहकों के लिए 24 x 7 का उपयोग।
- यह बायोमेट्रिक, पिन प्रमाणीकरण और डेबिट कॉर्ड के साथ बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली द्वारा संरक्षित है।
- शाखा के कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बिना ग्राहक इसका उपयोग कर सकते हैं।
- यह ग्राहकों को सुविधाजनक और एक विशिष्ट अनुभव देता है।

4.3.3. परिरक्षित चारा

परिरक्षित चारा एक हरा चारा है। इसे हवाबंद डिब्बों में रखा जाता है जिसे चारे की कमी के दौरान पशुओं के चारे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

उपयोग:

- कम बारिश वाले क्षेत्रों में पशुओं के चारे का विकल्प।
- शुष्क अवधि के दौरान विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की क्षमता।
- तमिलनाडु सरकार ने परिरक्षित चारा बनाने को लोकप्रिय बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। वैज्ञानिकों ने स्थित तमिलनाडु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र में रेपोल पॉलीप्रोपाईलीन (repol polypropylene) का उपयोग करके परिरक्षित चारा बनाया है।

परिरक्षित चारा तैयार करने की विधि

- हरी घास को पॉलिथीन के बड़े बोरे में संग्रहित किया जाता है।
- बोरे के भर जाने के बाद हवा निकालने के लिए इसे दबाया जाता है, जिससे अपघटन न हो।
- इसके बाद पतले गुड़रस से इसे किण्वित किया जाता है और उचित नमी के स्तर पर 60 दिनों के लिए संरक्षित किया जाता है।

4.3.4. हवाई बीजारोपण

क्या है: यह बीज बोने की एक तकनीक है जिसमें हेलीकाप्टरों और हवाई जहाज के द्वारा बीजों का छिड़काव किया जाता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर और कृष्णा जिलों में पहाड़ी ढ़लानों पर करीब 1,500 हेक्टेयर पर बुवाई के लिए इस विधि का प्रयोग किया है, इस क्षेत्र में पारंपरिक तरीकों से बुवाई करना संभव नहीं है।

सफलता: आंध्र प्रदेश में गांधी पहाड़ी पर कुछ दशक पहले कोई हरियाली नहीं थी। लेकिन अब पूरा पहाड़ पेड़ों से आच्छादित है।

महत्व

- जंगल की आग पेड़-पौधों को नष्ट कर देती है, जिससे मृदा अपरदन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। हवाई बीजारोपण जल्दी और प्रभावी ढंग से मृदा अपरदन के खतरों को कम करता है और तेजी से फैलने वाली पौधों की प्रजातियों के विकास को अवरोधित कर देता है।
- अत्यंत चट्टानी इलाकों या उच्च ऊंचाई या दुर्गम स्थानों पर बीजारोपण के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- कम समय में एक बड़े क्षेत्र में बीजारोपण किया जा सकता है।

4.4. अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता

4.4.1. यूएन कलाम वैश्विक उपग्रह (UN KALAM GLOBAL SAT)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित पृथ्वी अवलोकन और आपदा जोखिम में कमी के लिए एक वैश्विक उपग्रह को ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के लिए समर्पित किया जा रहा है। इसका नाम यूएन कलाम वैश्विक उपग्रह रखा गया है।

पुनः नामकरण का कारण

- यह नाम वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही मानव जाति की प्रमुख समस्याओं के लिए कम लागत वाले समाधान खोजने के लिए भी प्रेरित करेगा।
- श्री कलाम चाहते थे कि अंतरिक्ष तक पहुँच वाले देशों को प्राकृतिक आपदाओं, ऊर्जा और पानी की कमी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के मुद्दों और मौसम की भविष्यवाणी जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान खोजने के लिए साथ आना चाहिए।

यूएन कलाम वैश्विक उपग्रह

- मार्च 2015 में जापान के सेंडाइ में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में इसके प्रक्षेपण का विचार लाया गया था।
- कोई भी देश बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप, जंगल की आग, आंधी या ज्वार की घटनाओं की भविष्यवाणी, निगरानी और न्यूनीकरण के लिए आवश्यक सेंसर और उपग्रह प्रणालियों का खर्च अकेला वहन नहीं कर सकता। इसलिए आपदा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के परस्पर विकास के लिए वैश्विक उपग्रह प्रस्तावित किया गया है।
- यह विभिन्न देशों की आपदा प्रबंधन और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ, अंतरिक्ष और डेटा क्षेत्रों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करेगा।

4.5. प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीकि का विकास

4.5.1 अर्द्ध-क्रायोजेनिक प्रक्षेपण यान

- इसरो ने अपनी अर्द्ध-क्रायोजेनिक प्रक्षेपण यान योजना को बढ़ावा देने के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- यह इसरो का तीसरा रॉकेट विकास कार्यक्रम है।
- लागत: 1,800 करोड़ रूपए
- ईंधन: अंतरिक्ष-श्रेणी का केरोसिन और तरल ऑक्सीजन
- क्षमता: छह से दस टन भार के साथ 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई
- वर्तमान में केवल अमेरिका और रूस के पास यह तकनीकि है।
- भविष्य: इसरो के मुताबिक छह से आठ महीने में यह अपने इंजन(SCE-200) के साथ तैयार हो जाएगा।
- यह जीएसएलवी(GSLV) की भार क्षमता का दोगुना और पीएसएलवी(PSLV) की भार क्षमता का तिगुना होगा।

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

5.1. पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण क्षति तथा संरक्षण

5.1.1 कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि

- आंध्रप्रदेश स्थित कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण में प्रवासी पक्षियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सितंबर से लेकर मार्च के मध्य तक अभ्यारण्य में स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों की लगभग 89,000 प्रजातियां निवास कर रहीं थीं। अभ्यारणों की शोभा बढ़ाने वाले ये प्रवासी पक्षी आकर्टिक क्षेत्र, रूस, चीन तथा मंगोलिया से यहां आते हैं।
- कोरिंगा अभ्यारण्य के बढ़ते महत्व का कारण
- चेन्नई स्थित पुलिकट झील के सूखते हुए पंक कुंड तथा मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु के प्वाइंट कैलिमेर में गिरते हुए जलस्तर के कारण, प्रवासी पक्षियों का समूह अब कोरिंगा पक्षी अभ्यारण्य की ओर रुख करने लगा है।

कोरिंगा अभ्यारण

- गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित कोरिंगा अभ्यारण पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। कोरिगां अभ्यारण में मैंग्रोव की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती है।कोरिगां के मैंग्रोव वन में 94 प्रवासी प्रजातियों सहित पक्षियों की कुल 266 प्रजातियां पाई जाती है।

5.1.2 अथिरापल्ली पनबिजली परियोजना

- केरल में चालाकूड़ी नदी पर प्रस्तावित अथिरापल्ली पनबिजली परियोजना को 'नदी घाटी व पनबिजली परियोजनाओं के लिए बनी विशेषज्ञ अनुमोदन समिति'(ईएसी) ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। इस परियोजना की कुल प्रस्तावित क्षमता 163 मेगावाट है। लगभग एक दशक पूर्व 'केरल राज्य विद्युत बोर्ड' (केएसइबी) ने इस परियोजना को प्रस्तावित किया था।

परियोजना में व्यवधान का कारण

- इस परियोजना के विरोध में विभिन्न पर्यावरण संरक्षण समूहों के प्रदर्शन, इसके विरोध में अदालत में लगी याचिकाओं तथा 'पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी समूह' के द्वारा इसका प्रतिरोध करने के कारण परियोजना में गतिरोध उत्पन्न हो गया था।

(ईएसी) का पर्यवेक्षण तथा महत्वपूर्ण प्रश्न

- वन्य भूमि-क्षेत्र का ह्रास तथा आदिवासियों का विस्थापन – ईएसी के पर्यवेक्षण के अनुसार, अथिरापल्ली बांध के डूब-क्षेत्र में कोई आदिवासी परिवार निवास नहीं करता है। इस परियोजना के क्षेत्र विशेष में कोई स्थानिक प्रजाति भी निवास नहीं करती है तथा परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में होने वाले वानस्पतिक नुकसान की भरपाई संभव है।

5.1.3) ओखला पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए चिन्हित

- ओखला पक्षी अभ्यारण को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.जेड.) घोषित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। अभ्यारण्य की सीमा से सटे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणी सीमा से 100 मीटर तथा उत्तरी सीमा से 1.27 किमी. का क्षेत्र ई.एस. जेड. का हिस्सा होगा।

क्या असर होगा

नोएडा और उसके निकट घर खरीदने वालों के लिए यह एक राहत की खबर है, क्योंकि इस अधिसूचना के बाद अब उनका घर ई.एस. जेड. क्षेत्र के बाहर होगा।

ओखला पक्षी अभ्यारण्य का स्वरूप

यमुना नदी के ओखला बैराज पर स्थित यह अभ्यारण लगभग 4 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है।यहां पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें जल में रहने वाले पक्षी भी शामिल हैं।

यहां निवास करने वालीं प्रजातियां

1. अतिसवेंदनशील रूप से संकटापन्न दो प्रजातियां- भारतीय गिद्ध व श्वेत पुष्ठ गिद्ध
2. संवेदनशील नौ प्रजातियां – क्रेन सारस, बतख,टिटहरी,भारतीय स्किमर,बया,
3. सात प्रजातियों पर संकट -

चिंता का विषय

कभी फ्लेमिंगो, सारस तथा बतख सहित सैकड़ों अन्य प्रजातियों के कलरव से गुलजार रहने वाला ओखला पक्षी अभ्यारण्य अब अपनी आभा खोता जा रहा है, कारण है यहां से गुजरता डीएनडी फ्लॉईओवर, इसके निकट बना अंबेडकर उद्यान तथा कंक्रीट के जंगलनुमा सैकड़ों अपार्टमेंट। इन सब निर्माण कार्यों ने मिलकर इस अभयारण की पोषक क्षमता तथा इसके क्षेत्र का ह्रास किया है।

5.1.4) अधिकांश पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (E.S.Z) अब तक चिन्हित नहीं

भारत में राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या लगभग 526 है, इनमें से अब तक केवल 26 को ही पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.जेड.) के रूप में चिन्हित किया गया है।

ई.एस.जेड. और इसका महत्व

- राष्ट्रीय वन्य जीवन सरंक्षण नीति के अनुसार हर ई.एस.जेड. के चारों ओर एक पारिस्थितिकीय संरक्षित क्षेत्र होना चाहिए, जहां प्रदूषणकारी तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों का निषेध होना चाहिए।
- ई.एस.जेड. की अवधारणा के अनुसार पारिस्थितकीय संरक्षण के उद्देश्य एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करना है, जहां

प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवासीय क्षेत्र में निवास करते हुए अपना सहज विकास कर सकें। इसके लिए ई.एस.जेड. क्षेत्र के चतुर्दिक प्रतिरोधक क्षेत्र (बफर जोन) निर्मित करने का प्रावधान है।ऐसे क्षेत्र में समस्त प्रकार के निर्माण, खनन तथा औद्योगिक कार्य प्रतिबंधित होते हैं।

ई.एस.जेड. पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश -

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को प्रस्ताव भेजने पड़ेंगे, जिनके अंतर्गत इन प्रदेशों की सीमाओं में स्थित पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्रों तथा इनके चारो ओर फैले ई.एस.जेड. की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन करना होगा। ई.एस.जेड. को लेकर सर्वोच्च न्यायलय के इस रूख कारण निम्नलिखित है

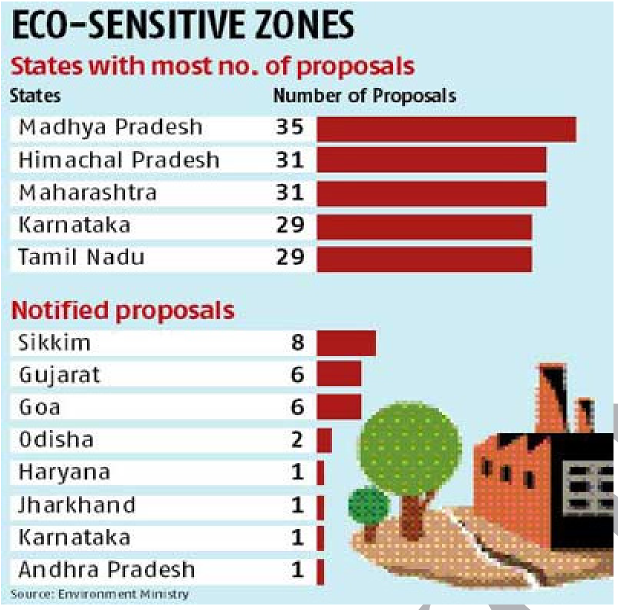

1. कई राज्यों द्वारा प्रस्ताव भेजने में ढिलाई।
2. हिमाचल प्रदेश, गोवा तथा राजस्थान जैसे कुछ राज्य ESZ बनाने को लेकर लगातार अपनी चिंताएं जाहिर करते रहे है।
3. कार्यपद्धति की जटिलता के कारण भी प्रस्ताव भेजने में विलम्ब होता हैं।

[अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन के लिए वन व पर्यावरण मंत्रालय के 'प्रतिबंधित और स्वीकृत' सिद्धांत का वर्णन करें। मुख्य परीक्षा-2013]

[बाघ संरक्षित क्षेत्रों के केन्द्रीय भागों में पर्यटन गतिविधियां सार्वजनिक विमर्श का प्रश्न है। वर्तमान में दिए जा रहे समस्त न्यायिक मतों को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मुख्य परीक्षा-2012]

5.1.5) स्वच्छ ऊर्जा योजना: जलवायु परिवर्तन पर ओबामा का साहसिक कदम

जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका द्वारा अब तक की सबसे बड़ी पहल की गई। अमेरिका में स्वच्छ ऊर्जा योजना को प्रस्तुत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया में उत्सर्जित कार्बन की मात्रा का न्यूनीकरण करना है।इस योजना के अंतर्गत कार्बन डाई ऑक्सइड के उत्सर्जन को वर्ष 2005 के स्तर से घटाकर वर्ष 2030 तक 32 प्रतिशत तक कम करना है ।

Estimated 2013 emissions

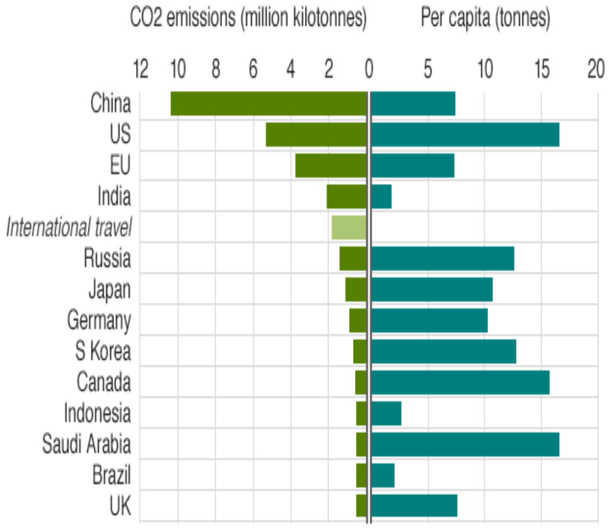

ओबामा सरकार ने सभी प्रांतों की सरकारों को सितंबर 2016 तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने तथा वर्ष 2022 तक इसको कार्यान्वित करने का आदेश दिया है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि उनके इस कदम से अन्य देशों को भी इस दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी। यह माना जा रहा है कि पेरिस में दिसंबर माह में होने वाले पर्यावरण सम्मेलन में इस अमेरिकी योजना को प्रमुखता मिलेगी।

5.1.6) ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ईंधन के रूप में लगभग दो तिहाई आबादी लकड़ी का ही उपयोग करती है, एनएसएसओ के अनुसार यह संख्या लगभग 67 प्रतिशत है। इसके उलट शहरों में मात्र 14 प्रतिशत जनसंख्या ही ईंधन के रूप मे लकड़ी का प्रयोग करती है।

रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- ग्रामीण क्षेत्रों में जलाने के लिए लकड़ी के प्रयोग मे कमी होने की दर बहुत धीमी है, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993 में 78.20 प्रतिशत लोग ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे। वर्ष 2011-12 में यह स्तर गिरकर 67.30 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में एल.पी.जी. के प्रयोग की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक तीव्रता से बढ़ी है। यह संख्या 2 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 15 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

VISION

- ग्रामीण भारत में अनुसूचित जनजाति के 87 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 70 प्रतिशत घरों में ईंधन के रूप मे लकड़ी का प्रयोग होता है। इसके अलावा यह सर्वेक्षण बताता है कि 25 प्रतिशत ग्रामीण घरों में आज भी रोशनी के लिए केरोसीन का प्रयोग किया जाता है, यद्धपि केरोसीन के प्रयोग में गिरावट आ रही है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. का प्रयोग करने में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, जबकि केरल व पंजाब क्रमश: दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं।

5.1.7) ई –भुगतान प्रणाली द्वारा कैंपा फंड में प्रतिपूरक लेवी का भुगतान

- प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण (कैंपा) फंड में अब सरकार ई-भुगतान प्रणाली द्वारा फंड स्वीकार करेगी, ताकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित वन्य भूमि के गैर वन्य भूमि में रूपांतरण के समय ली जाने वाली प्रतिपूरक लेवी, सरकार सरलता से प्राप्त कर सके। सरकार ने इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रावधान किया है कि समस्त भुगतान इसी पोर्टल से ई-भुगतान द्वारा ही किए जाएं। कुछ विशेष मामलों में कैंपा की अनुमति से इस प्रणाली से इतर भी भुगतान का कार्य किया जा सकता है।
- ई-भुगतान प्रणाली का महत्व
- ई-भुगतान प्रणाली, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरलीकृत बनाते हुए पारदर्शी बनाती है। इसके माध्यम से कैंपा फंड में आने वाली समस्त प्रतिपूरक लेवी, बिना किसी विलंब के जमा होंगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को त्वरित रूप से कायर्रूप प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- क्या है प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण
- प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण (कैंपा), किसी वन्य भूमि के गैर वन्य भूमि में रूपांतरण से, पर्यावरण को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से वनारोपण तथा पुन: उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया प्राधिकरण है।
- माननीय सर्वोच्च न्ययालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण सलाहाकार परिषद् का गठन किया गया जिसे निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण के लिए निर्देश सूची का निर्माण।
- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण के लिए वैज्ञानिक,तकनीकि तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना।
- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण के योजना और कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी अनुसंशा करना।
- अंतर्राज्यीय व केंद्र- राज्य मुद्दों पर समाधान के लिए, राज्य कैंपा को आवश्यक तंत्र उपलब्ध करवाना।
- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण
- राज्यों में प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण फंड के उपयोग के लिए जो संस्था बनाई गई, उसे राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण का नाम दिया गया है। ये संस्था कैंपा फंड का उपयोग, वन व वन्य जीवों के संरक्षण तथा वनारोपण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए करती है।

5.2. पर्यावरण संरक्षण

महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे क्रीक को फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया

महाराष्ट्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के 18 वें अनुच्छेद के अंतर्गत ठाणे क्रीक को फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया। इस अभयारण्य में नंवबर माह तक पक्षियों की संख्या 30,000 तक हो जाती है, ये पक्षी मई तक यहां रूकते हैं। मई के बाद प्रजनन हेतु, ये पक्षी समूह गुजरात के भुज क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं। ठाणे क्रीक क्षेत्र मालवन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सामुद्रिक अभयारण्य है, जहां गिद्ध जैसी संकटापन्न प्रजातियों को मिलाकर लगभग 200 पक्षी प्रजातियां निवास करती हैं।

आवश्यकता व प्रासंगिकता

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा ठाणे क्रीक को फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित करने का निर्णय, इस क्षेत्र के मैंग्रोव वन, पक्षियों की संकटापन्न प्रजातियों तथा यहां के पंक मैदानों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद अब यहां के पारिस्थितिक तंत्र पर उचित निगरानी रखी जाएगी, जिससे कचरे के निस्तारण, गंदे पानी के प्रवाह तथा अन्य जैविक व्यवधानों पर रोक लगाने का कार्य होगा। इसके साथ ही अभयारण्य के निर्माण से वैज्ञानिकों, वन्यजीव प्रेमियों तथा आमजन को भी प्राकृतिक वातावरण का सानिध्य मिलेगा।

5.2.2) चेंगलीकोदान केला को भौगालिक संकेतक (जीआई) का दर्जा

अपने विशिष्ट स्वाद, आकार तथा रंग के लिए प्रसिद्ध चेंगलीकोदान केले को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा पलक्कदन चावल, वझक्कुलम अनन्नास, पोकली चावल, वॉयनाड की सुंगधित चावल की दो किस्में गंधकशाला तथा जीराकशाला तथा मध्य ट्रावनकोर का गुड़ आदि भौगोलिक संकेतक में नामांकित हो चुके हैं। भारत में लगभग 200 विशिष्ट वस्तुओं को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है।

भौगोलिक संकेतक (जीआई) में नामांकन का महत्व

जी.आई. नामांकन, वस्तु को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। यह उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक वस्तुओं की प्राप्ति में सहायक होता है। जीआई नामांकन घरेलू व विदेशी बाजार में वस्तु की मांग बढ़ा कर उत्पादकों के आर्थिक हितों की रक्षा करता है तथा विदेशों में भी वस्तु की विशिष्टता की रक्षा करता है।

5.3.3) छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों में मात्र चार क्षेत्रों को ही अनुदान

- केंद्रीय नवीन व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने इंगित किया है कि मंत्रालय द्वारा भवन की छतों पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों को दी जाने वाली केंद्रीय आर्थिक सहायता को मात्र चार क्षेत्रों तक सीमित किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुदान के लिए पात्र चार क्षेत्र निम्न हैं

1. घरेलू उपयोग के लिए प्रयुक्त सौर ऊर्जा संयंत्र।
2. संस्थानिक भवन (जैसे–स्कूल, चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों तथा निजी व सरकारी अनुसंधान केंद्रों) पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र।
3. सरकारी कार्यालयों (केंद्रीय, राज्य सरकारों तथा समस्त पंचायती राज भवनों) पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र।
4. सामाजिक कार्यों में (वृदाश्रमों, अनाथालयों, सामुदायिक भवनों आदि पर) प्रयुक्त भवनों पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र।

केंद्र द्वारा दिया जा रहा यह अनुदान कुल मानक मूल्य के 15 प्रतिशत तक होता है।

देश में विकास की तीव्र दर तथा बढ़ती ऊर्जा आवश्यक्ताओं की मांग को देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत की भविष्य की उर्जा आवश्यकताओं के सन्दर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा भारत के लिए एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत कर सकती है? [मुख्य परीक्षा 2012]

5.2.4) किक्की हुना

दुनिया का सबसे छोटा कीट किक्की हुना हाल ही में तमिलनाडु में पाया गया। किक्की हुना का आकार मात्र 0.16 मिमी. है। यह एक बहुकोशीय जीव है, जोकि आकार में एककोशीय जीव से भी छोटा है। किक्की हुना अपने अंडें अन्य कीटों के अंडों में रखता है। इसका पूरा जीवन एक अंडें में गुजरता है, जहां से यह एक वयस्क कीट के रूप में बाहर निकलता है। किक्की हुना को सबसे पहले 20 वर्ष पूर्व त्रिनिदाद व टोबैगो में खोजा गया था। ऑस्ट्रेलिया तथा अर्जेन्टीना में भी कीटों की यह प्रजाति पाई जाती है।

अर्थव्यवस्था

विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यू.टी. ओ.) में सौर ऊर्जा को लेकर मतभेद

सौर ऊर्जा संबंधित विवाद में विश्व व्यापार संगठन के एक निर्णायक मंडल ने भारत के विरुद्ध फैसला दिया है।भारत में चल रहे सौर ऊर्जा कार्यक्रम के विरोध में अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में इस मामले को उठाया। निर्णायक मंडल के अनुसार भारत सौर ऊर्जा पैनल उत्पादन के क्षेत्र में अनुदान प्रदान करता है।सरकार की इस अनुदान प्रणाली से घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों की तुलना में लाभ की स्थिति में बनी रहती है तथा इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है, अत: भारत सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि घरेलू व विदेशी कंपनियों मे विभेद की स्थिति न रहे ताकि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण किया जा सके।

विश्व व्यापार संगठन में क्यों पहुंचा मामला

भारत सरकार घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित सौर ऊर्जा पैनलों को लगाने पर प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि वृहद पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादक संस्थाओं को प्रदान करती है।

भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है तथा डब्ल्यू.टी. ओ. के अनुसार किसी भी सदस्य राष्ट्र को व्यापार के मामले में घरेलू तथा विदेशी कंपनियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा आयातित व घरेलू उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं दोनों मामलों में सरकार को समान व्यवहार करना चाहिए।

क्या हो सकता है असर

सौर ऊर्जा क्षेत्र में यद्धपि सीमित क्षेत्र में ही सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, तथापि विश्व व्यापार संगठन में इस तरह के मामलों के उठने से भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं, जोकि विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा भारत को एक निर्माण अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बनाया गया है। साथ ही सरकार द्वारा हरित ऊर्जा क्षेत्र में 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने की योजना भी प्रभावित हो सकती है।

6.2) कर अपवंचन

6.2.1 टैक्स हैवन देशों के संपदा प्रबंधकों को अपनी निगरानी के दायरे में लाएगा सेबी

- भारतीय पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी), टैक्स हैवन देशों जैसे – हाँगकाँग, सिंगापुर आदि में कार्यरत कुछ बड़े धन प्रबंधकों को अपने दायरे में लाने में लाने को प्रयासरत है। सेबी इस माध्यम से अघोषित संपत्तियों को चिन्हित करने का प्रयास करेगा। भारतीय कानून के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अधिकतम 2,50,000 डॉलर प्रति वर्ष विदेश भेज सकता है, लेकिन एक बार पैसे के देश से बाहर चले जाने के बाद उस पर निगाह रखना मुश्किल होता है। सेबी ने अंतर्राष्ट्रीय निजी बैंकों से कहा हैं कि यदि वे भारत में कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी अन्य देशों मे स्थित शाखाओं को भी उनके साथ पंजीकृत कराना होगा।

कारण

- सरकार काले धन तथा कर चोरी के स्त्रोतों का पता लगाकर राजस्व को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार ऐसे अनेक लोगों पर अभियोग चला रही है, जिनके बारे में सरकार को विदेशों में अघोषित संपत्ति होने का अनुमान है।एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2002 से 2011 के मध्य लगभग 344 अरब डॉलर की पूंजी भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन व अघोषित संपत्ति के रूप में बाहर भेजी गई।
- कुछ विदेशी बैंक अमीर भारतीयों को अपना ग्राहक बनाते हैं तथा उनकी विदेशी परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, जबकि ये न तो भारत मे कार्यरत हैं तथा ना ही स्थानीय नियामकों को इसकी जानकारी रहती है।

क्या पड़ेगा असर

- सेबी द्वारा पंजीकृत होने के बाद कुछ बैंकों ने यह स्वीकार किया है कि वो अपने धनी भारतीय ग्राहकों की विदेशी परसंपत्तियों का प्रबंधन कर रहे हैं। ऐसी स्वीकृतियों के बाद भारतीय नागरिकों से उनकी संपत्तियों की जानकारी प्रदान करने के लिए सेबी द्वारा की गई अपील का असर पड़ेगा तथा निजी बैंकों को भी भारत में इस तरह के लेन-देन करने से पहले सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा।

6.2.2) विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान के उद्देश्य से 'विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम' के तहत समझौता हुआ है। यह अधिनियम दोनों देशों के नागरिकों, वित्तिय संस्थानों जैसे बैंकों, जमा स्वीकार करने वाली गैर बैकिंग वित्तिय कंपनियां, म्यूचअल फंडों,निजी इक्विटी कोषों, जीवन बीमा कंपनियों आदि की जानकारी आपस में साझा करेंगें। इस समझौते के अनुसार बैंक खातों की जमा की जानकारी का भी आदान-प्रदान करना होगा।
- हालांकि वित्तीय जानकारियों के आदान-प्रदान पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं, जैसे-किसी नागरिक द्वारा 30 जून 2014 से पूर्व में खोला गया खाता जिसमें 50,000 डॉलर से कम राशि जमा हो तो उस खाते की जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा। कंपनी के मामले में यह सीमा 2,50,000 डॉलर है।सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (जो कि सामान्यत: छोटी राशि के अंतरण करते हैं) भी इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं।
- भारतीय नागरिक जो कर प्रावधानों से बचने के लिए विदेशों में अपने धन को जमा रखते हैं, उन पर नियंत्रण के लिए यह कानून

VISION IAS

तथा हाल ही में लागू हुआ 'काला धन कानून' दोनों मिलकर कर-अपवंचन रोकने मे मददगार साबित होंगें।

चुनौतियाँ

- सार्वजनिक बैंकों के ग्राहकों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऐसी जानकारियां प्रदान करना मुश्किल कार्य होगा।इसके साथ ही बैंकों को अपनी तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सके।
- इसके साथ ही भारतीय वित्तीय संस्थानों को अपने कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना होगा, ताकि इस समझौते का उत्कृष्टता से पालन करने तथा ग्राहकों के आत्मसम्मान की रक्षा के मध्य आवश्यक संतुलन को बना रहे।

6.3) उद्योग

6.3.1) ई-कॉमर्स क्षेत्र

6.3.1.1) ई-वाणिज्य आधारित निर्यातों से सीमा हटाएगा भारत

- वाणिज्य मंत्रालय, ई–वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करेगा। यह सुविधा कुरियर के माध्यम से 25,000 रू. तक का निर्यात करने पर प्रदान की जाएगी।योजना प्राथमिक रूप से 6 बंदरगाहों से प्रारंभ की गई है, जिसमें हस्तनिर्मित उत्पाद, चमड़े के जूते, खिलौने तथा अन्य फैशन वस्त्रों का निर्यात किया जाएगा।
- राजस्व विभाग एक इलेक्ट्रॉनिक डॉटा आदान-प्रदान(ई.डी.आई.) सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहा है, यह सॉफ्टवेयर निजी व सरकारी भागीदारी के आधार पर भारतीय उद्योग परिषद् के साथ निर्मित किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर निर्माण के बाद ई-वाणिज्य सहायता योजना को पूरे देश में बगैर किसी बाधा के साथ लागू किया जाएगा।
- वर्तमान में कुरियर द्वारा किए जाने वाले इन निर्यातों को नियमित निर्यात आंकड़ों में शामिल नहीं कर इन्हें नमूनों के रूप वृगीकृत किया जा रहा है, क्योंकि सामान्य निर्यात प्रक्रिया के अंतर्गत इन्हें परिवहन बिल, सीमा-शुल्क अधिकारियों की जांच तथा अन्य कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इतनी औपचारिकताओं से गुजरना छोटे निर्यातकों के लिए बहुत जटिल होता है। ई.डी.आई. सॉफ्टवेयर निर्माण के पश्चात् इन समस्याओं का हल निकलने की संभावना है।
- वर्तमान में सरकार ने थोक व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की हुई है, लेकिन खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं है। सरकार को संशय है कि खुदरा क्षेत्र में एफ.डी. आई को अनुमति प्रदान करने से विदेशी सुपर मार्केट श्रृंखलाएं पिछले दरवाजे के रास्ते भारत में अपनी उपस्तिथि दर्ज करवा सकती हैं।
- कुआलालंपुर में 16 देशों के वित्त मंत्रियों की 'व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक परिषद्' की बैठक में भारत ई-वाणिज्य पर एक कार्यसमूह के निर्माण पर सहमत हुआ है।इसी तरह ब्रिक्स देशों के मध्य भी ई-वाणिज्य पर एक कार्यकारी दल बनाने के लिए भारत सहमत हुआ है।

6.4) बैंकिग सुधार: सार्वजनिक बैंकों के संदर्भ में

- भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन बैंकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी प्रमुख वजह इन बैंकों में पहले से चली आ रही कई समस्याएं, जैसे ऋण प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुमोदन में देरी होना, भूमि अधिग्रहण में समस्या आना आदि हैं। इसके साथ ही घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की कमी के कारण कई परियोजनाओं का रूका हुआ होना इन बैंकों की समस्या में वृद्धि करता है।
- आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के कारण ये बैंक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।इनके लाभांश में गिरावट आई है क्योंकि बैंकों को इन पुनर्गठित परियोजनाओं तथा अपनी गैर निष्पादक संपत्तियों(एन.पी.ए.) के लिए प्रावधान करना पड़ता है। सार्वजनिक बैंकों को इस समस्या से उबारने के लिए सरकार ने हाल ही में इंद्रधनुष योजना को जारी किया है।

इंद्रधनुष योजना : महत्वपूर्ण बिंदु

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने सात सूत्रीय योजना बनाई है।

- ये सात सूत्र क्रमश: नियुक्तियां, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से दबाव हटाना, सशक्तिकरण, जवाबदेही का ढांचा तैयार करना तथा प्रशासनिक सुधार हैं।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो वर्तमान चयन बोर्ड का स्थान लेगा, अगले छह महीनों में आर.बी.आई. गर्वनर की अध्यक्षता में ये बोर्ड नियुक्त कर दिया जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो के जोखिम वाले ऋणों पर विचार करेगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य और होंगे, जिनमें से तीन सरकारी सदस्य तथा अन्य तीन सदस्य बैंकिंग तथा अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।

VISION IAS

- 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' बैंकों की एक अलग स्वामित्व कंपनी का निर्माण की दिशा में भी कार्य करेगा। इस अलग स्वामित्व वाली कंपनी के गठन का उद्देश्य बैंकों की कार्यप्रणाली को सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखना है। साथ ही यह सरकार तथा बैंकों के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक सार्थक प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत इन बैंकों को कुछ मात्रात्मक लक्ष्य दिए जाएंगें तथा प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति पर अंक मिलेंगें। ये अंक उनके लक्ष्य एन.पी.ए.(गैर निष्पादनकारी अस्तियां) प्रबंधन, वित्तीय समावेशीकरण, व्यापार वृद्धि तथा ऋण का विविध क्षेत्रों में प्रसार आदि के आधार पर दिए जायेंगें। इसी क्रम में बैंक को कुछ गुणात्मक लक्ष्य भी दिए जाएंगें, जोकि मानव संसाधन तथा संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों पर आधारित होंगें।

प्रमुख चुनौतियां

- पी.जे. नायक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2014 से मार्च 2014 अर्थात् लगभग चार वर्षों के दौरान बैंकों को लगभग 5.87 लाख करोड़ टियर -1 पूंजी की आवश्यक्ता पड़ेगी। जबकि इंद्रधनुष योजना के अनुसार सरकार अगले चार सालों में मात्र 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की ही योजना बना रही है। इंद्रधनुष योजना में विनिवेशी का उल्लेख भी नहीं है। इसके अलावा गैर निष्पादित अस्तियों (एन.पी.ए.) की समस्या से निपटने के लिए भी किसी ठोस योजना का आभाव है।
- इंद्रधनुष योजना में रेखांकित अनेक कार्यक्रम पूर्व में अलग-अलग नामों से रिजर्व बैंक ने चला रखे हैं। बैंकिंग सुधार के लिए बनी नायक कमेटी ने बैंक बोर्ड ब्यूरो की सदस्यता केवल वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को देने की सिफारिश की है, जबकि इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत इसमें सरकार का भी प्रतिनिधित्व शामिल किया जाना प्रस्तावित है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र में असली सुधार उस दशा में ही होगा, जब बैंकों के संचालन के लिए एक पृथक स्वामित्व वाली कंपनी का गठन किया जाएगा तथा उसके सदस्य बैंकिंग क्षेत्र से ही संबंधित विशेषज्ञ हों।

6.5) पूंजी बाजार

ढांचागत निवेश न्यास के लिए नियमों में नरमी

- भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ढांचागत निवेश न्यास के लिए नियमों में नरमी बरतने के संकेत दिए हैं ताकि बड़ी फर्मों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ज्ञातव्य है कि सेबी ने सितंबर 2014 में फर्मों को 'अचल संपत्ति निवेश न्यास' तथा 'ढांचागत निवेश न्यास' बनाने की अनुमति प्रदान की थी। इसका उद्देश्य वित्त की कमी झेल रहे रियल स्टेट डेवलपर्स को मदद करना था।
- कोई भी घरेलु ढांचागत क्षेत्र मे निवेश करने वाली कंपनी अपने अंशधारकों से दीर्घकालिक पूंजी उधार ले सकती है, ताकि डेवलपर्स को परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता मिल सके। इसके साथ ही ढांचागत फर्में अपनी कार्यशील परियोजना का एक हिस्सा इन निवेशक कंपनियों को हस्तांतरित कर सकती हैं।
- नये नियमों के अनुसार ढांचागत निवेश कंपनियों को प्रायोजित करनी वाली फर्म की न्यूनतम अंश सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- हालांकि इस प्रकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नियमों में अनेक प्रकार की छूट प्रदान की है, किन्तु अभी भी ढांचागत निवेश करने वाली कंपनियां आशानुरूप उत्साह नहीं दिखा रही है, ये कंपनियां नियमों में छूट के साथ-साथ कर प्रावधानों में भी स्पष्टता चाहती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय : भारत एवं विश्व

7.1. भारत - यू.एस.

भारत और अमेरिका एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं जिसके अनुसार में दोनों देश आतंकवाद की सारी जानकारी आपस में एक दूसरे से साझा करेंगे। इस समझौते पर हस्ताक्षर इस वर्ष दिसम्बर में होने वाले होमलैंड सुरक्षा एवं आतंकवाद का मुक़ाबला करने के मुद्दे पर होने वाली वार्ता के दौरान होंगे । होमलैंड सुरक्षा अध्यक्षीय निर्देशक (HSPD-6) करार अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक मॉडल है जिसमे अमेरिकी आतंकवादी निगरानी केंद्र एवं भारतीय एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी आपस में साझा करेंगी।

अभिप्राय :

इस करार का उद्देश्य होमलैंड सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा, अवैध वित्तीयन पर नियंत्रण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, महानगर पुलिस ,विज्ञान व तकनीकि एवं साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, क्षमता निर्माण पर विचार-विमर्श करना होगा। इस करार के होने पर भारत की पहुँच अमेरिकी डेटाबेस तक हो जाएगी। जिसमें ग्यारह हज़ार संदिग्धों की जानकारी है। भारत ने यू एस स्थित कम्पनियों गूगल, याहू एवं बिंग के इन्टरनेट डेटा तक पहुँच की भी मांग की है।

आलोचना

कुछ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे गुप्त डेटाबेस तक अमेरिका की अबाधित पहुँच पर चिंता व्यक्त की है।

नोट

अमेरिका अब तक 30 देशों के साथ ऐसे करार कर चुका है। आतंकवादी निगरानी केंद्र, ऍफ़ बी आई प्रबंधित एक संयुक्त एजेंसी है जो कि विभिन्न U.S. एजेंसियों द्वारा बनायी गयी संदिग्ध आतंकवादियों की सूची को व्यवस्थित करती है।

7.2. भारत – इटली समुद्री मामलों में यथास्थिति

समुद्री कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इतालवी समुद्री मामले में यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। भारत और इटली दोनों देशों को सभी अदालती कार्यवाही समाप्त करने एवं कोई भी नयी कार्यवाही शुरू करने से मना किया है। इटली की याचिका के बावजूद कोर्ट ने एक अभियुक्त नौसैनिक को, भारतीय हिरासत से रिहा होने की अनुमति नहीं दी जो कि भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। दूसरा अभियुक्त नौसैनिक पहले से ही इटली में है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे चिकित्सा कारणों से वहीं रहने की अनुमति दे दी है।

प्रष्ठभूमि

- फ़रवरी 2012 – दो नौसैनिक जो कि “एन्रिका लेक्सिया” जहाज पर थे, उन्होंने दो मछुआरों को समुद्री डाकू समझकर केरला के तट पर मार दिया।
- जुलाई 2015 – सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान, इटली ने कोर्ट के समक्ष भारत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की दलील दी। लेकिन भारत के अनुसार यह घटना भारतीय जलक्षेत्र में हुई है, इसलिए भारत मे नौसैनिकों पर कार्यवाही हो सकती है।

समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस)

- आईटीएलओएस(ITLOS) समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है, जिसका कार्य समुद्री कानून की व्याख्या एवं प्रयोग के मसलों को हल करना है भारत ने भी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को भी स्थापित किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त प्रादेशिक समुद्र की सीमा से सटे क्षेत्रों और महाद्वीपीय निमग्न तटीय समुद्री तल खनन का नियमन करना है।
- न्यायालय में 21 स्वतंत्र सदस्य हैं इसका मुख्यालय जर्मनी के हैम्बर्ग में है।
- न्यायालय सदस्य देशों के बीच हुए विवाद को सुलझाने का अधिकार रखता है वर्तमान में 161 सदस्य हैं ।

7.3 भारत – अफ़ग़ानिस्तान

हाल ही में भारत ने वर्ष 2011 में हुए सामरिक भागीदारी समझौते (Strategic Partnership Agreement) को दोबारा शुरू करने के अफ़ग़ानिस्तान के प्रस्ताव को एक बार फ़िर नामंज़ूर कर दिया है। भारत और अफ़ग़ानिस्तान के मध्य सामरिक भागीदारी समझौते पर वर्ष 2012 केवल एक बार वार्ता में हुई थी।

अफ़ग़ानिस्तान ने इस करार के लिए सबसे पहले भारत को चुना जबकि अमेरिका और पाकिस्तान इस करार के लिए बहुत अत्यधिक थे। हालांकि कई कारणों से भारत ने अफ़ग़ानिस्तान से किये अपने सामरिक वादों को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

- पाकिस्तान समर्थित तालिबान द्वारा अफ़ग़ानिस्तान मे उपस्थित भारतीयों पर हुए हमलों ने भारत को अफ़ग़ानिस्तान में अपनी रणनीतिक और सैन्य सहायता पर सोचने के लिए बाध्य किया है।
- अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करज़ई के पश्चात् राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कई फैसले लिए हैं जैसे पाकिस्तानी जनरल मुख्यालय का दौरा एवं सेना व खूफिया प्रमुख को काबुल आने की दावत। इस क्रम में खूफिया एजेन्सी एनडीएस एवं आईएसआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और पाकिस्तान की मेजबानी में अफ़ग़ानिस्तान सरकार का तालिबान से बातचीत जैसे घटनाक्रम से अफ़ग़ान नीति मे बदलाव परिलक्षित होता है।

VISION IAS

7.4. भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा

- भारतीय प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया की अपनी पहली यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से की। पिछले तीन दशकों में संयुक्त अरब अमीरात के लिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। वर्ष 2014-2015 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार 59 अरब डॉलर का था। संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक व्यापक सामरिक भागीदारी के स्तर तक पंहुचा दिया है।
- दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि राजनीतिक उद्देश्य या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए धर्म का दुरूपयोग नहीं होने दिया जायेगा। यह भारत की विदेश नीति में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले सुरक्षा और आतंकवाद को ही तरजीह दी जाती रही है।
- यह सहयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसी भी देश का नाम लिए बिना पाकिस्तान और राज्य प्रायोजित आतंकवाद को दोषी ठहराया गया है।
- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत द्वारा प्रस्तावित व्यापक समझौते को अपनाने की दिशा में भी साथ काम करेंगे।
- संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा।

7.5. भारत - ईरान

समझौता ज्ञापन: चाबहार बंदरगाह

भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए ईरान के साथ एक समझौते हस्ताक्षर किए हैं। ईरान ने भारत से एक रेलवे लाइन बनाने में मदद का आग्रह किया था। यह रेलवे लाइन चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन के निर्माण को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जिनका संबंध रेल नेटवर्क के स्वामित्व और रखरखाव से संबंधित अनुबंध की शर्तें आदि से है।

यह रेलवे लाइन करीब 500 किलोमीटर लंबी होगी जो कि ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी ज़हेदान को चाबहार बंदरगाह से जोड़ेगी। ज़हेदान मुख्य ईरानी रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रेल लाइन चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ देगी और यह अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए आगे के देशों तक पहुँच प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि:

अफ़गानिस्तान में और उससे आगे के क्षेत्र में भारत की पहुँच बढ़ाने के सन्दर्भ में चाबहार बंदरगाह रणनीतिक स्थान पर स्थित है। साथ ही यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से भी जोड़ देगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के देशों के बीच जहाज, रेल और सड़क मार्गों के विकास से संबंधित परियोजना है।

रूस, ईरान और भारत ने इस परियोजना से संबद्ध समझौते पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए थे। 2014 में परियोजना के तहत दो मार्गों पर पूर्वाभ्यास किया गया था। पहला मार्ग मुम्बई से बंदर अब्बास (ईरानी बंदरगाह) होते हुए बाकू (अजरबैजान) तक जाता है। और दूसरा मार्ग मुंबई से बंदर अब्बास, तेहरान और बंदर अन्ज़ली (ईरान) होते हुए मॉस्को (रूस) तक जाता है।

प्रभाव: भारत इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार क्षमता का दोहन करने के लिए उत्सुक है। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, बंदर अन्ज़ली जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार को बढ़ाना है।

वीजा नीति

भारत ने ईरान के लिए अपने वीजा प्रतिबंधों को कम किया है और पूर्व रेफरल श्रेणी को खत्म कर दिया है। वीजा की तीन श्रेणियां- रोजगार, सम्मेलन और छात्र तथा अनुसंधान अभी तक प्रतिबंधित सूची में थीं। दोनों देश बंदरगाहों, उत्तर दक्षिण गलियारे, पेट्रो-रसायन, इस्पात उद्योग, चिकित्सा उपकरण और दवाइयों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को तीव्र करने के लिए सहमत हो गए हैं।

प्रभाव: भारत आईएसआईएस और इस्लामी आतंकी समूहों के बढ़ते प्रभाव और खतरों के मद्देनजर ईरान को एक महत्वपूर्ण समर्थक के रूप में देखता है। वीजा नीति में सुधार से भारत में व्यापार करना आसान होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

ईरान के विदेश मंत्री ऐसे समय में भारत यात्रा पर आये जब भारत पश्चिम-एशिया क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है। इन देशों मे सुरक्षा साथी इजराइल, महत्वपूर्ण ऊर्जा सहयोगी ईरान और अन्य खाड़ी देश शामिल हैं जो कि भारत की सुरक्षा के लिए

महत्वपूर्ण हैं। ये देश उर्जा आपूर्तिकर्ता होने के साथ ही यहाँ लाखों भारतीय प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्रदाता हैं।

7.6. भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता सीट का मुद्दा

अमेरिका के बाद रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत और ब्राजील के साथ ही एक अफ्रीकी देश की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

लेकिन अमेरिका, रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में किसी बड़े सुधार के पक्ष में नहीं हैं और नए सदस्यों को वीटो का अधिकार भी नहीं देना चाहते।

पृष्ठभूमि

भारत जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता चाहता है। भारत को फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते और एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थायी सदस्यता के साथ वीटो अधिकार भी चाहता है। हालांकि चीन का रुख भारत के लिए बाधा बन सकता है क्योंकि चीन ने भारत की उम्मीदवारी पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

निहितार्थ

- महासभा के अध्यक्ष सैम कुटेसा द्वारा पेश दस्तावेज को अगले साल के संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर चर्चा के लिए एक आधार के रूप में सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है।
- अगर वीटो अधिकार प्राप्त 5 देशों में से कोई भी - देश - दस्तावेज स्वीकार करने के प्रस्ताव को वीटो करने का फैसला करता है तो निकट भविष्य में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगेगा।

भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

- भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए निरंतर सैनिक भेजे हैं और सैनिक भेजने में यह दूसरे स्थान पर है।
- भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार और उसमें स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रहा है और जी-77 और जी-4 का भी सदस्य है। इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता देना तार्किक है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् - महत्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रभार है।
- इसकी शक्तियों में शांति मिशनों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना और सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के अधिकार शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसके पास सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है।
- सुरक्षा परिषद् में पंद्रह सदस्य होते हैं। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका- ये पाँच स्थायी सदस्य हैं। ये स्थायी सदस्य महासचिव पद के लिए उम्मीदवारी या नए सदस्य बनाने जैसे प्रस्तावों सहित किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं।
- सुरक्षा परिषद् में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।

7.7. यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2015

2015 के यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अनुसार भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2013 में भारत 65वें स्थान पर था और अब 52वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए एक परिणाम आधारित रूपरेखा दस्तावेज जारी किया था जिसमें इस सूचकांक में सुधार का लक्ष्य रखा गया था।

यह सूचकांक हर 2 वर्षों में प्रकाशित होता है। यह सूचकांक उन "नीतियां और कारकों पर आधारित है जो यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास को सक्षम बनायें और साथ ही देश के विकास और प्रतिस्पर्धा में योगदान दें।

7.8. चीन - पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना

चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को लागू करने के लिए 20 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- इस परियोजना से चीन के लिए मध्य-पूर्व एशिया से ऊर्जा आयात करना आसान हो जायेगा क्योंकि इससे आयात मार्ग 12,000 किलोमीटर छोटा हो जायेगा।

VISION IAS

- इस परियोजना में सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों का निर्माण शामिल है। यह आर्थिक गलियारा चीन के सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड के तहत बनने वाले 6 आर्थिक गलियारों में से एक है।

भारत की चिंता

यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर यानी विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है इसलिए भारत ने चीन को अपनी आपत्तियों से अवगत करा दिया है। हालांकि चीन ने कहा है यह परियोजना चीन के लोगों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से जरूरी है।

7.9. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ रूपरेखा

- भारत ने सेंडाइ फ्रेमवर्क को लागू करने का फैसला किया है।
- "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क 2015-2030" को मार्च 2015 में सेंडाइ (जापान) में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे विश्व सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था।
- इसमें सात लक्ष्य रखे गए हैं और चार प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है।
- एशियाई क्षेत्र में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में भारत की भूमिका का आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय सक्रिय रूप से समर्थन करता आया है।
- सेंडाइ फ्रेमवर्क 15 साल के लिए एक स्वैच्छिक समझौता है जो देशों पर बाध्यकारी नहीं है। समझौते के अनुसार आपदा जोखिम को कम करने में राज्य की प्राथमिक भूमिका है पर साथ ही इस जिम्मेदारी को स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- सेंडाइ फ्रेमवर्क को आपदा न्यूनीकरण के ह्योगो फ्रेमवर्क 2005-2015 के उत्तराधिकारी संस्करण के रूप में अपनाया गया है।

7.10. सार्क देश काष्ठ इतर (Non-wood) वन उपज को बढ़ावा देंगे

सार्क समूह के आठ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने काष्ठ इतर वन उपज के समुदाय आधारित सतत प्रबंधन और आय सृजन के मुद्दे पर मुलाकात की।

प्रमुख मुद्दे

- वनों से, लकड़ी के अतिरिक्त उत्पादों का समुदाय आधारित भागीदारी के माध्यम से सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कानूनी, वित्तीय और बाजार तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- उन्होंने उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण और प्रमाणीकरण को वैध करने के लिए और मूल्य संवर्धन की सुविधा के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे की स्थापना करने का संकल्प भी लिया।
- उच्च मूल्य वन उपज के लिए वास्तविक समय आधारित बाजार सूचना और निगरानी प्रणाली की स्थापना पर भी बैठक में आम सहमति बनी।
- अत्यधिक शोषण को समाप्त करने के लिए विशेषज्ञ समूह ने इन संसाधनों का स्वामित्व स्थानीय समुदायों को सौंपने का प्रस्ताव रखा।

काष्ठ इतर (Non-wood) वन उपज

- खाद्य और कृषि संगठन काष्ठ इतर (Non-wood) वन उपज को "वन से प्राप्त लकड़ी के अतिरिक्त जैविक मूल के उत्पाद, वन्य-सीमा से बाहर की वृक्ष तथा लकड़ी आधारित वृक्षों से युक्त भूमि" के रूप मे परिभाषित करता है।

काष्ठ इतर (Non-wood) वन उपज के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: भोजन और खाद्य योजक के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले उत्पाद (सूखे मेवे, मशरूम, फल, जड़ी बूटियाँ, मसाले, सुगंधित पौधे, आदि), रेशे (निर्माण, फर्नीचर, कपड़ों या बर्तनों में इस्तेमाल होने वाले), राल, गोंद और औषधीय, प्रसाधन और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले पौधे और पशु उत्पाद। जैव विविधता के संरक्षण सहित पर्यावरण उद्देश्यों के लिए काष्ठ इतर (Non-wood) वन उपज के योगदान की बढ़ती मान्यता की वजह से हाल के वर्षों में काष्ठ इतर (Non-wood) वन उपज पर राष्ट्रों ने ध्यान केन्द्रित किया है।

7.11. जयपुर शिखर सम्मेलन: भारत - प्रशांत द्वीपों के बीच सहयोग के लिए मंच

भारत ने प्रशांत द्वीपीय देशों के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मलेन भारत-प्रशांत द्वीपों के बीच सहयोग के लिए मंच उपलब्ध कराने के लिए आयोजित किया गया था। इसका आयोजन क्षेत्र में भारत की उपस्थिति का विस्तार करने की रणनीति के अंतर्गत किया गया था जो कि आर्थिक और भू-राजनीतिक रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके एजेंडें में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा, टेलीमेडिसिन और टेली-शिक्षा में समन्वय शामिल है। इसके अंतर्गत ई-नेटवर्क, अंतरिक्ष-सहयोग और जलवायु परिवर्तन शामिल है।

- भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी द्वीप पर एक नए अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह निगरानी स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। फिजी में एक उपग्रह निगरानी स्टेशन भारत को एक स्वतंत्र उपग्रह निगरानी क्षमता प्रदान करेगा। वर्तमान में भारत , प्रशांत महासागर के ऊपर अपने उपग्रहों की निगरानी के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सहायता पर निर्भर है।
- इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण- प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों के बढ़ते भूराजनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया। ये देश एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में स्थित होने के साथ ही संसाधनों से समृद्ध हैं और संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़े मतदाता समूह हैं।
- इन देशों का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य बनने की भारत की दावेदारी के लिए महत्वपूर्ण है।

निहितार्थ

- फिजी का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव है और फिजी के साथ भारत

VISION IAS

के मजबूत संबंधों से क्षेत्र में बढ़ रहे चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

- विश्लेषकों का कहना है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि, मत्स्य पालन और लघु उद्योगों पर आधारित है। इन क्षेत्रों में भारत की क्षमता यूरोप और चीन से भी बेहतर है। इसलिए भारत अपनी प्रौद्योगिकी के आधार पर इन द्वीपीय देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है।
- इस क्षेत्र मे किया गया सीमित प्रयास भी महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा।
- इनमें से कई देश भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने नागरिकों को शिक्षा के लिए भारत भेजते हैं।

इस प्रकार भारत को अपनी ताकत, संभावित तालमेल और हितों और जरूरतों की पूरकता को ध्यान में रखते हुए रणनीति का निर्धारण करना चाहिए।

7.12. एंकर बच्चा और जन्म पर्यटन: विवाद

खबर में क्यों

अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति पद के अभियान के लिए एंकर बच्चा मुद्दा विवादों में है। जहां एक राजनीतिक पार्टी ने इसे खत्म करने का वादा किया है वहीं दूसरी पार्टी ने इसका समर्थन किया है।

वो बच्चा जिसके माता-पिता अप्रवासी हैं और जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है, उसे अमेरिकी नागरिकता लेने की अनुमति है। वह 21 साल की उम्र का होने पर अपने माता-पिता को अमेरिकी नागरिकता लेने के लिए प्रायोजित कर सकता है।

आलोचना

- कहा जा रहा है कि यह ‘ ’नागरिकता का जन्मसिद्ध अधिकार” अमेरिका में “ अवैध आव्रजन” के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अप्रवासी सिर्फ अपने बच्चे के जन्म के लिए अमेरिका आते हैं ताकि उनका बच्चा अमेरिका का नागरिक हो जाए।
- इसके लिए विशेष रूप से एशियाई लोगों को दोषी माना जाता है और कहा जाता है कि एशियाई लोग ही इस अधिकार का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसे “ जन्म पर्यटन” कहा जा रहा है। इसे धोखाधड़ी मानकर इसकी आलोचना की जा रही है।

वितर्क

- प्यू रिसर्च सेंटर और आव्रजन अध्ययन अनुमान केंद्र द्वारा किये गए सर्वेक्षण में पाया गया कि अमेरिका में हर साल लगभग 3 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक अवैध अप्रवासी होता है। इनमें से 70 फीसदी लोग मेक्सिको, अल सल्वाडोर और होंडुरास से आते हैं।

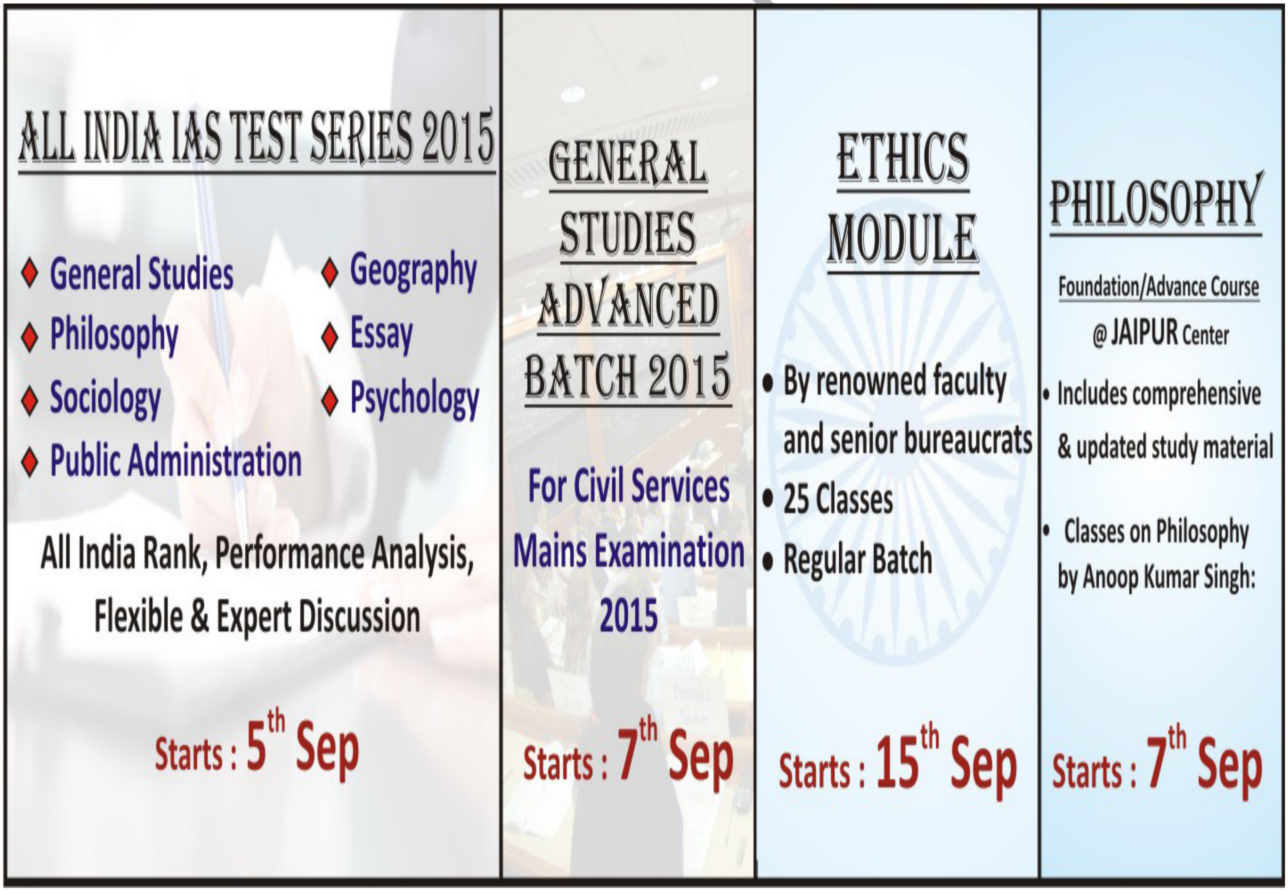

सुर्खियों में

8.1) मृत्युदंड के विरोध में त्रिपुरा विधानसभा में प्रस्ताव पारित

- त्रिपुरा विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को समाप्त करें। इस प्रस्ताव में भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 302 में संशोधन करने व मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की मांग की गई।
- गौरतलब है कि मृत्युदंड के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 1980 के बचन सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में कहा है कि ये केवल जघन्य से जघन्यतम श्रेणी के मामलों में ही दिया जाए। जबकि इसके विपरीत नवंबर 2012 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में 'मृत्युदंड की समाप्ति हेतु मसौदा प्रस्ताव' के विरोध में मतदान किया भारत के अनुसार प्रत्येक देश को अपना कानूनी ढांचा तय करने का अधिकार है।

[Q. यह बहुधा जनता में बहस का मुद्दा बन जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा अक्सर मृत्युदंड के मामलों में किया जाने वाला विलंब न्याय न मिलने के समान होता है। क्या राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत ऐसी याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए?? विवेचना करें।(Q-5, Paper II, UPSC 2014)]

8.2 स्वच्छ भारत अभियान में मैसूर अव्वल

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे स्वच्छ शहरों की सूची जारी की है। जिसमें कर्नाटक के मैसूर शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह सूची मंत्रालय ने इस अभियान को बेहतर तरीके से चलाने वाले उन 476 शहरों मे से बनाई जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है।

सर्वेक्षण में स्वच्छता के निम्नलिखित दो मापदंड थे-

1. शहर में 'खुले में शौच' की समस्या का न्यूनतम होना।
2. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की ठोस कचरा प्रबंधन क्षमता के आधार पर।

इन दोनों मापदंडों पर मैसूर का काम प्रशंसनीय पाया गया है।

इस सर्वे का उद्देश्य इस अभियान के प्रारंभ होने के समय इन शहरों की स्वच्छता स्थिति व स्वच्छ भारत अभियान के दौरान इस क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना था।

8.3 स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन : कुछ महत्वपूर्ण बिंदू

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपनी सरकार के पिछले 15 महीनों की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं जिसमे शामिल की है।

1. किसानों की स्थिति में सुधार की आवश्यक्ता पर जोर देते हुए कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर 'कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया।
2. युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री ने 'स्टार्ट अप इंडिया' पहल की घोषणा की। इसके तहत भारत की 1.25 लाख बैंक शाखाएं अपने क्षेत्र के कम से कम किसी एक दलित या आदिवासी एवं एक महिला उद्यमी को कर्ज देंगी।
3. प्रधानमंत्री ने 2022 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही सभी नागरिकों को घर व अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रण किया।
4. अगले 1000 दिनों में बिजली की सुविधा से वंचित समस्त 18500 गांवो को रौशन करने का संकल्प प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया।
5. तुलनात्मक रूप से छोटे पदों के लिए साक्षात्कार को शीघ्र ही समाप्त करने व भर्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने की बात कही।
6 .मौजूदा श्रम कानूनों को आसान बनाने के उद्देश्य से 44 श्रम कानूनों को सरलीकृत करके 4 श्रम संहिताओं में बदलनें की घोषणा की। ये संहिताएं औद्योगिक संबंधों,वेतन, मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कामकाज की स्थितियों और सुरक्षा से संबंधित होगीं।
7. कर्मचारी भविष्य निधि (ई. पी. एफ.) खातों में बिना दावों के पड़ी राशि का उपयोग मजदूरों के कल्याण के लिए करने की घोषणा की गई।

8.4 यंग इंडिया संस्था द्वारा 'प्रोजेक्ट मासूम' का प्रारंभ

बाल दुराचार के विरुद्ध पहल करते हुए यंग इंडिया नामक संस्था ने प्रोजेक्ट मासूम को प्रारंभ किया है। यह एक देशव्यापी प्रोजेक्ट है।

प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों ?

- मीडिया में आए दिन देश भर से बाल दुराचारों की खबरें आती रहती हैं, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आवाज उठाने तथा समाज में लोकलाज के भय व जागरुकता के आभाव में ऐसे अपराधों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाये जाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

क्या है प्रोजेक्ट

- इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बाल दुराचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लोगों में जागरुकता का प्रसार किया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक स्थलों जैसे सिनेमा हॉल आदि के माध्यम से अभियान

VISION IAS

चलाया जाएगा।

- इस अभियान की प्रचार सामग्री में बच्चों को सुरक्षित रखने के तरीकों का वर्णन किया गया है व साथ ही इसमें यौन अपराधों से बाल सरंक्षण (पोस्को) अधिनियम 2012 के मुख्य बिंदुओं को भी शामिल किया गया है।
- बाल दुराचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जागरुकता फैलाने के लिए 'प्रोजेक्ट मासूम' के माध्यम से स्कूलों में बच्चों, अध्यापकों व अभिभावकों में जागरूकता फैलाई जाएगी।

प्रमुख चुनौतियां

- ऐसी घटना होने पर लोकलाज के डर से अभिभावक इसे छिपाने की कोशिश करते हैं व पीड़ित बच्चे को भी इसका जिक्र किसी के सामने न करने की हिदायत देते हैं। इससे दुष्कर्मियों के हौसले बढ़ते हैं।
- अनेक एकल परिवारों में जहां बच्चों के माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं, वही ऐसे में बच्चों के देखभाल व स्कूल आदि से लाने, ले जाने की जिम्मेदारी अंजान लोगों के भरोसे रहती है जिससे इस तरह के खतरों का अंदेशा बढ़ता है।
- इसके अलावा बहुत से माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों की इच्छाओं, उनकी मनोवृत्तियों को समझने की चेष्टा नहीं करते। इस कारण बच्चे अपने अभिभावकों को अपनी तकलीफ साझा करने में सहज नही हो पाते हैं।

कैसे निकलेगी राह

- प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि वह अपने बच्चों की गतिविधियों, उनके स्वभाव व मनोवृत्तियों का गंभीरता से अवलोकन करें इसके साथ ही उन्हें सही-गलत की पहचान करने में सक्षम बनाएं।

कुछ चिंताजनक तथ्य

- 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक 6 में से 1 लड़का व प्रत्येक 4 में से 1 लड़की यौन दुराचारों का शिकार होती हैं।
- 89 प्रतिशत मामलों में यौन अपराधी, बच्चे का कोई निकट संबंधी ही होता है।
- 70 प्रतिशत मामलों में माता-पिता अभिभावक घटना से अंजान रहते हैं।

8.5) भाषाई सर्वेक्षण होगा प्रकाशित

गुजरात स्थित 'भाषा अनुसंधान व प्रकाशन संस्थान(BPRC) ने साल 2013 में 'भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण' करवाया। इस सर्वेक्षण से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

- सर्वेक्षण में भारत में कुल 860 भाषाओं को चिन्हित किया गया।
- अरूणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रादेशिक बोलियां बोली जाती हैं।
- आजादी के बाद से अब तक करीब 300 भाषाएं विलुप्त हो गईं हैं।
- भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या लगभग 40 करोड़ है तथा हिंदी भाषा भारत में अंग्रेजी से भी ज्यादा लोकप्रिय है।
- इस सर्वे का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि अंतिम बार लगभग एक सदी पूर्व भारत का पहला भाषायी सर्वेक्षण, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज ग्रियर्सन की अगुवाई में पूरा किया गया था।

8.6) काले धन पर अंकुश के लिए सेशेल्स से समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी

महत्वपूर्ण प्रावधान एवं प्रभाव

- समझौते के तहत प्राप्त सूचनाओं को गोपनीय माना जाएगा। समझौते के अनुसार प्रद्दत सूचनाओं को किसी व्यक्ति और संस्था से तभी साझा किया जा सकता है जब सूचना प्रदान करने वाले देश से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो।
- इसके माध्यम से समझौते ने एक साझा प्रणाली दोनों देशों को मुहैया करवाई है ताकि किसी मुद्दे पर उत्पन्न मतभेद को समाप्त किया जा सके।
- इससे दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं का आदान – प्रदान बढ़ेगा।
- इससे कर चोरी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

काला धन पर नियंत्रण के अन्य उपाय

- वित्तीय खातों की जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान के लिए सक्षम प्राधिकारियों के बहुपक्षीय समझौते के बाद भारत इस समझौते में शामिल अन्य 59 देशों के साथ जुड़ गया है। इसके तहत सदस्य देश स्वयं एक निश्चित अंतरालों पर सूचनाओं को साझा करेंगे।
- भारत ने अमेरिका के साथ (FATCA) विदेशी खाता कर अनुपालन कानून पर हस्ताक्षर कर काले धन की रोकथाम व कर चोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है।

8.7) गुजरात दंगों का असर - सोशल मीडिया की होगी निगरानी

महत्वपूर्ण बिंदु

इंटरनेट पर हो रही गतिविधियों पर निगरानी के लिए एक समानांतर व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय के अधीन 6 या 7 मंत्रालयों का एक संयुक्त निगरानी तंत्र होगा। यह निगरानी तंत्र सप्ताह मे सातों दिन चौबीस घंटे कार्य करेगा। इसके माध्यम से सोशल मीडिया पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

ऐसे होगी निगरानी

- सोशल मीडिया पर लिखी जा रही विषय-वस्तु का विश्लेषण करना व इसके साथ ही सोशल मीडिया को प्रयोग करने की समझ को विकसित करना। 24 घंटे के इस निगरानी तंत्र के माध्यम से सरकार अफवाह फैलने की स्थिति में तुरंत उसका खंडन कर आम जनता में भ्रम को फैलने से रोक सकती है व सही समय पर सही सूचना लोगों तक पहुंचा सकती है।
- सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में न्यू मीडिया विंग के नाम से एक ऐसा तंत्र विकसित किया गया है जो दिन में दो बार

VISION IAS

सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को एकत्र कर उच्च अधिकारियों को भेज देता है।

निगरानी तंत्र बनाने का तात्कालिक कारण

- गुजरात में हाल ही में हुए पटेल आंदोलन में सोशल साइट्स व मोबाइल एप्लिकेशंस पर छोड़े गए संदेशों ने आंदोलनकारियों को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

[Q – सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं तथा इनमें निहित सुरक्षा आयाम कौन से हैं?(MAINS 2013)]

8.8 सोने की तस्करी रोकने पर सरकार का कड़ा रुख

प्रमुख कदम:

- वायुयानों की नियमित छानबीन व यात्रियों के सामान की जांच की ताकि कोई वस्तु छुपायी ना जा सके।
- तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग पर तस्करी रोकने से संबंधित सभी एंजेसियां एक-दूसरे के संर्पक में रहती हैं व पूरे समुद्र तट की पूरी कड़ाई से निगरानी करती हैं।
- समुद्र तट की सुरक्षा के लिए समस्त एजेसियों जैसे कोस्ट गार्ड, आई.बी. एवं राज्य पुलिस द्वारा आपस में जानकारियों को साझा करना ताकि समुद्र तट पर कोई गैरकानूनी गतिविधियां ना हों तथा तट की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- 2014-15 में सोने की तस्करी के169 केस पकड़े गए।
- इसके अलावा तस्करी पर रोकथाम के लिए मेटल डिटेक्टर दरवाजे, सामान की जांच के लिए एक्स-रे युक्त मशीन, व्यक्तिगत जांच के लिए भी मेटल डिटेक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई है।

8.9) अप्रयुक्त टीवी स्पेक्ट्रम के माध्यम से उपलब्ध होगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट

- ब्रॉडबैंड इंटरनेट क्नेक्टिविटी की दिशा में आईआईटी बॉबे ने एक महत्वपूर्ण शोध किया है। इसमें पायलट आधार पर एक परीक्षण क्षेत्र में अप्रयुक्त टीवी स्पेक्ट्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संचालन का प्रयोग किया गया है।
- दूर संचार विभाग ने भी प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए एक परीक्षण लाइसेंस आईआईटी बॉबें को उपलब्ध करवाया है।
- इस परीक्षण का महत्व ये है कि यह प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सहायक हो सकता है। यह ऑप्टिकल फाइबर से सस्ता पड़ेगा तथा इसके अलावा यह इन्टरनेट क्नेक्टिविटी को व्यापक बनाएगा।

8.10) व्यापक समन्वय पोर्टल के माध्यम से सांसद आदर्श ग्राम योजना पर नजर रखेगा

यह पोर्टल केन्द्रीय ग्रमीण मंत्रालय द्वारा लॉच किया गया, इसके प्रमुख लक्षण निम्न है।

- समन्वय पोर्टल, केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए चलायी जा रही समस्त योजनाओं का समेकन ग्राम पंचायत स्तर पर करता है।
- 'समन्वय' के अंतर्गत पूरे भारत में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 1800 से भी अधिक योजनाओं को सूचिबद्ध किया गया है।

महत्व

- इसका महत्व यह है कि कोई भी सांसद ग्रमीण विकास के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं में से अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी योजना का उपयोग, अपने गोद लिए हुए गाव में, सांसद आर्दश ग्राम योजना के तहत कर सकता है।

8.11) कठिन परिस्थितियों वाले ब्लॉक से हाईड्रो कार्बन खोज को प्रोत्साहित करने के प्रीमियम मूल्य लिए सरकार द्वारा प्रदत्त होगा

- हाईड्रो कार्बन की खोज को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जल्द ही कठिन ब्लॉक से इसकी खोज करने पर प्रीमियम मूल्य संबंधित कंपनी को प्रदान करेगी।
- इस प्रकार इस क्षेत्र से संबंधित कंपनियां जैसे तेल व प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड(ओएनजीसी) व रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड(आरआईएल) आदि, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त कर पाएंगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल ने गैस की कीमतों के निर्धारण के निर्धारित सूत्र को स्वीकृति दी थी जो कि गैस के शुद्ध कैलोरिक मान(एनसीवी) पर आधारित है।
- सरकार को यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि भारत के 70 फीसदी प्राकृतिक गैस के क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से खोजे नहीं गए हैं। इसके बावजूद अन्वेषी कंपनियां गैस खोजनें में उत्साह नहीं दिखा रही है।

इसे भी जानें

- हाईड्रो कार्बन की खोज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिग नीति(नेल्प) को मंजूरी दी, जो कि 1999 से प्रभावी हुई। इस नीति के द्वारा सरकार नीलामी के द्वारा हाईड्रो कार्बन ब्लॉकों की खोज के अधिकार प्रदान करती है। अब तक इस प्रकार 9 चरणों में 360 ब्लॉकों का लाइसेंस दिया जा चुका है, जिसमें करीब 21.3 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। हाईड्रो कार्बन कंपनियां 1994 से अब तक रॉयल्टी व उपकर के रूप में भारत सरकार को 15.41 अरब डॉलर व राज्य सरकारों को करीब 1.93 अरब डॉलर दे चुकी हैं।

8.12) आरबीआई ने भुगतान बैंकों को हरी झंडी दिखाई

- भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 11 कंपनियों को भुगतान बैंकों के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है।

क्या है खासियत

- भुगतान बैंक सिर्फ 1 लाख रू तक जमा स्वीकार करने, पैसा निकालने और लेन-देन का काम करेंगे। ये बैंक अन्य नियमित

बैंकों की तरह कर्ज देने का काम नहीं करेंगे। ये बैंक मुख्यतय: प्रवासी मजदूरों, छोटे कामगारों व अन्य कम आय वाले परिवारों को बैंकिग के माध्यम से भारतीय वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का काम करेंगे।

- हालांकि कई लोगों ने सवाल उठाएं हैं कि बिना कर्ज दिए ये बैंक कैसे चल पाएंगे। इसके साथ ही मुख्यत: बिजनेस प्रतिनिधि(BC) और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से काम करने वाले इन बैंकों का आरबीआई को नियमन करने में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

8.13) भारत और अरब लीग : फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत अपने रुख़ पर कायम

- भारत ने एक आधिकारिक बयान द्वारा फिलिस्तीन मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए भविष्य में समर्थन/ मदद का भरोसा दिलाये। इसके साथ ही बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारतीय राष्ट्रपति इजराइल और जॉर्डन के साथ-साथ फिलिस्तीन की यात्रा भी करेंगे।

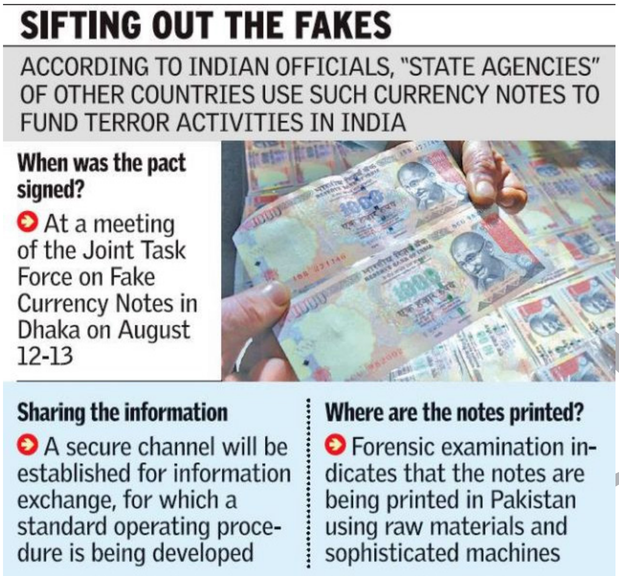

- इस बयान को भारत द्वारा मध्य-पूर्व के देशों से कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के रूप में देखा जा रहा है। भारत इस क्षेत्र में इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने के साथ-साथ पारंपरिक रूप से मित्र, अरब राष्ट्रों से भी अपने अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है।
- इससे पूर्व भारत, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) में पहली बार इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव में मतदान मे अनुपस्थित रहा था। संयुक्त राष्ट्र का ये प्रस्ताव पिछले वर्ष गाजा में हुए संघर्ष (जिसमें करीब 2000 व्यक्ति मारे गए थे) के लिए जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करने और फिलिस्तीन अधिकृत क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को लेकर था।
- भारत ने मतदान से अनुपस्थिति को लेकर बयान दिया है कि इस प्रस्ताव में 'अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय' की प्रत्यक्ष भूमिका से संबंधित उपबंध निहित थे दृष्टव्य है कि भारत इस न्यायालय का सदस्य नहीं है।

8.14) नकली नोटों की रोकथाम के लिए भारत-बांग्लादेश एक साथ

नकली नोटों की रोकथाम के लिए बनाए गए भारत और बांग्लादेश के संयुक्त कार्यबल की बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढ़ाका में संपन्न हुई। इसमें दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ जो कि नकली नोटों की तस्करी पर रोक लगाने व राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अविलंब सूचना हस्तांतरण से संबंधित है।

8.15) भारत – पाकिस्तान

8.15.1- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार स्तर की, वार्ता रद्द

- पाकिस्तान ने भारत – पाकिस्तान की प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया, यह वार्ता ऊफा (रूस स्थित एक शहर जहां जुलाई में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था) समझौते के प्रावधानों के तहत होनी थी। यह इस समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में देश आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। भारत ने इस पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पाकिस्तान के साथ वार्ता तय की थी, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इसमें कश्मीर मुद्दे को शामिल करने पर अडियल रुख अपनाया गया एवं बाद में स्वयं को इस वार्ता से अलग कर इसे रद्द कर दिया।

प्रभाव

- वार्ता का रद्द होना दोनों देशों का एक-दूसरे के प्रति अविश्वास को दर्शाता है, जो कि आतंकवाद से संयुक्त लड़ाई में बाधक साबित हो रहा है।
- यह वार्ता दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मिलने के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध करवाने के साथ ही में सीमा सुरक्षा बल (बी. एस.एफ.) और पाकिस्तानी रेंजर के बड़े अधिकारियों को एक-दूसरे में मिलने का मौका उपलब्ध करवाती। अत: यह वार्ता दोनों के बीच आपसी संपर्क के लिए एक अच्छा कदम साबित होती।

8.15.2) भारत ने किया राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का बहिष्कार

जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को न्यौता न देने के विरोध में भारत ने पाकिस्तान में होने जा रहे 61वें राष्ट्रंमडल संसदीय सम्मेलन (सी. पी.ए.) का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

- भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को न बुलाकर नियमों का उल्लंघन किया है। ये नियम क्रमश: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव संख्या 1991(30 मार्च 1951) व 4 जनवरी 1957 के प्रस्ताव संख्या 122 में उल्लेखित हैं।
- जबकि वहीं पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को न्यौता भेजना पाकिस्तान की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतो से मेल नहीं खाता है।

8.16) भारत – सेशेल्स संबंध

सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलेक्स माइकल की भारत यात्रा के दौरान

VISION IAS

अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किये गए, जैसे सामुद्रिक सुरक्षा संधि व पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन (ब्लू इकोनामी) के क्षेत्र में सहयोग।

- कर चोरी को रोकने के लिए दोनों देशों के मध्य एक कर संबंधी समझौता हुआ जिसके तहत दोंनों देश एक-दूसरे से कर संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।
- इसके अलावा अंतरिक्ष व कृषि के क्षेत्र में भी आपस में समझौते हुए।

अपेक्षित प्रभाव:

- हिंद महासागर में सेशेल्स की स्थिति इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि भारत की सामुद्रिक देशों के साथ संबंध बनाने की ओर अग्रसर कूटनीति में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
- सेशेल्स के एक टैक्स हैवन देश के रूप में कुख्यात होने के कारण लोग अपने अवैध धन को यहां जमा करते हैं। भारत के साथ कर संबंधी संधि हो जाने के बाद भारत को काले धन संबंधी सूचनाएं सेशेल्स से मिलेंगी, जो कर चोरी की समस्या से निपटने में मदद करेंगी।
- दोनों देशों के मध्य हिंद महासागर के क्षेत्र में सामरिक सुरक्षा के क्षेत्र मे बेहतर सहयोग का इतिहास रहा है। भारत ने सेशेल्स को एयरक्रॉफ्ट, नेवी पोत व तटीय रडार सिस्टम उपल्बध करवाए हैं।

8.17) भारत- चीन

- भारत और चीन के बीच बैठक के लिए लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी को वार्ता के लिए पांचवां मिलन स्थल बनाया है। दोनों देशों की सीमाओं पर शांति के लिए ऐसी सीमा वार्ता होना एक अच्छा संकेत है।
- पिछले साल से अब तक दोनों देशों ने दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट बनाएं हैं। इसी वर्ष अरूणाचल प्रदेश के किबितु में पहला मीटिंग पॉइंट बनाया गया था।इस पहल से भारत और चीन के संबंधों को भी सुधारने में मदद मिल सकती है।

8.18) भारत – म्यांमार संबंध

- भारत ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित अपने पड़ोसी देश म्यामांर को राहत सामग्री भेजी है। विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से लगभग दो लाख पचास हजार लोग प्रभावित हुए और लगभग 5 लाख एकड़ कृषि भूमि इसके चपेट में आने से वहां की फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं।

कुछ संबंधित बिंदु

- इस वर्ष अप्रैल में नेपाल में आए भूकंप के दौरान भारत ने आगे बढ़ कर बचाव व राहत कार्य में बढ़-चढ़ कर योगदान दिया। नेपाल सरकार ने भारत के योगदान को सराहा, लेकिन नेपाल-त्रासदी से संबंधित समाचारों के प्रकाशन के संबंध मे भारतीय मीडिया के एक हिस्से का वहां विरोध भी हुआ।
- पड़ोसी देशों की उनकी जरूरत के वक्त मदद कर भारत अपनी छवि को और सुदृढ़ कर सकता है, हालांकि ऐसे हालात में भारत को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए काम करना चाहिए।

8.19) भारतीय नाविकों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान

केंद्र सरकार ने अतंर्राष्ट्रीय नाविक पहचान दस्तावेज संधिपत्र 2003 को मंजूरी दे दी है, ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय नाविक पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए किया गया है, भारत के अलावा अन्य 30 देशों ने भी इस समझौते को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के पर्यवेक्षण के अंतर्गत मंजूरी दी है। इस कदम से भारतीय नाविकों के अंतर्राष्ट्रीय नौपरिवहन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगें।

- नाविकों की आवागमन सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ इसके तहत मिलने वाला स्मार्ट कार्ड नाविकों की सत्यापित पहचान के माध्यम से उनकी सामुद्रिक सुरक्षा बढ़ाएगा। अनेक देश नाविकों को विशेष सुविधाएं देने से पहले ऐसी पहचान प्रमाणित करने की मांग करती हैं, इस कदम से उनको आसानी हो गई है।
- भारत अगले 6 महीनों में अपने नाविकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोमैट्रिक आधारित पहचान दस्तावेज जारी करेगा।वर्तमान में भारत में 1.8 लाख से ज्यादा नाविक हैं, जो कि नाविकों की वैश्विक स्तर पर संख्या का लगभग 7% हैं।

8.20) लीबिया में चार भारतीयों को बंधंक बनाया

- लीबिया में चरमपंथी गुटों के बढ़ते प्रभाव से भय व अशांति का माहौल है। इसी कड़ी में चार भारतीयों को अगवा कर लिया गया। इनका अपहरण लीबिया के सिर्ते शहर से किया गया था। बाद में दो बंधंकों को छोड़ दिया गया। अपहरणकर्ता गुट का नाम अभी साफ नहीं हो पाया है। स्थिति के समाधान के लिए भारत ने त्रिपोली में एक छोटा सा अभियान चलाया है जिसकी निगरानी ट्यूनीशिया स्थित भारतीय दूतावास से की जा रही है। इस घटना के बाद आतंकियों द्वारा अफगानिस्तान व पाकिस्तान स्थित जेहादी संगठनों के माध्यम से भारत में महायुद्ध जैसे हालात पैदा करने की चेतावनी भी दी जा रही है। इसके अलावा यह घटना उन भारतीयों से संबंधित समस्या को भी प्रदर्शित करती है जो कि सरकार द्वारा जारी स्पष्ट दिशा- निर्देशों के बावजूद ऐसे अशांत क्षेत्रों में रह रहे हैं व उन जगहों की यात्राएं कर रहे हैं।

8.21) स्वेज नहर का हुआ विस्तार कार्य हुआ पूरा

- मिश्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तेह अल सीसी ने विस्तारित स्वेज नहर का शुभारंभ जहाजों के आवागमन को हरी झंडी दिखा कर किया। गौरतलब है कि अगस्त 2014 से स्वेज नहर को गहरा और चौड़ा करने के लिए स्वेज नहर में आवागमन बंद कर दिया गया था।
- राष्ट्रपति का मानना है कि विस्तार के बाद अब स्वेज नहर से होने वाली आय से, मिश्र की अर्थव्यवस्था को और अधिक लाभ प्राप्त होगा। उनका मानना है कि इस विस्तार प्रोजेक्ट की मदद से प्राप्त होने वाला राजस्व, वर्ष 2023 तक दोगुने से भी ज्यादा होकर लगभग 13.2 अरब डॉलर हो जाएगा।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS